4: विनियोग लेखे: लेखे पर टिप्पणियां

4.1 प्रस्तावना

'वित्तीय मामलों में कार्य प्रणाली' 'वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978' 'सामान्य वित्तीय नियम-2005' से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अन्य स्थायी निर्देश इत्यादि सरकारी निधियों के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन तथा सरकारी खातों से किये गये व्यय हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन सिद्धांतों के उल्लंघन के मामले पाये गये। इस अध्याय में इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के उल्लंघन से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ दी गई हैं।

4.2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) का लगातार उल्लंघन - सी.बी.डी.टी द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 114(3) अनुबंधित करता है कि विधि अनुसार किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि (सी.एफ.आई.) से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान भारत की समेकित निधि पर एक प्रभार है, तथा इसलिए यह केवल विधि अनुसार किए गए उचित विनियोग के अंतर्गत प्राधिकृत किए जाने के पश्चात ही देय है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 'ब्याज' को ब्याज व्यय के वर्गीकरण हेतु विनियोग की प्राथमिक इकाई के रुप में परिभाषित करता है।

राजस्व विभाग/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) अतिरिक्त कर की वापसियों पर ब्याज का वर्गीकरण राजस्व में कमी के रूप में कर रहा है, तथा इस गलत प्रक्रिया पर संघ सरकार के लेखों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन के साथ साथ प्रत्यक्ष करों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन में भी निरंतर टिप्पणी की गई हैं, परंतु विभाग द्वारा कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की गई है।

इस मामले की जांच लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा की गई तथा समिति ने अपनी 66वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2012-13) में टिप्पणी की विभाग के पास, पिछली प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर कर वापसियों पर ब्याज देयता पर व्यय के व्यापक अनुमान न बना पाने का कोई वैध आधार नहीं था।। विभाग ने स्वयं माना कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, उसके पास संसद द्वारा

पारित विनियोग कानून की सहायता लिए बिना एकत्रित अतिरिक्त कर/वापसियों पर ब्याज को वापस लेने का कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त, समिति ने विभाग को स्मरण करवाया था कि संविधान का अनुच्छेद 114(3) स्पष्ट रूप से अधिदेशित करता है कि विधायिका द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकेगा।

अपनी अनुपालना रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2013-14 की 96वीं रिपोर्ट) में पी.ए.सी. ने अपनी पहले की अनुशंसाओं को दोहराया था कि मंत्रालय संवैधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमों के अनुरूप एक प्रक्रिया स्थापित करे ताकि वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा अनुदान हेतु मांगों में कर वापसियों पर ब्याज भुगतानों को दर्शाकर संसदीय स्वीकृति प्राप्त की जा सके जैसा कि संविधान द्वारा विहित है।

अतीत की तरह, वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था तथा विभाग द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वापसियों पर ब्याज पर कुल ₹5,332 करोड़ का व्यय किया गया था। आवश्यक विनियोग के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना पिछले सात वर्षों की अवधि में ब्याज भुगतानों पर ₹48,235 करोड़ का व्यय किया गया था जिसका विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है:

तालिका 4.1: करों की वापसी पर ब्याज पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वापसियों पर ब्याज पर व्यय
2008-09	5,778
2009-10	6,876
2010-11	10,499
2011-12	6,486
2012-13	6,666
2013-14	6,598
2014-15	5,332
कुल	**48,235**

मामला अक्तूबर 2015 में राजस्व विभाग को संदर्भित किया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (नवम्बर 2015) में बताया कि वित्त मंत्री की स्वीकृति से, महान्यायवदी के राय के आधार पर लो.ले.स. की सिफारिशें स्वीकार नहीं की। अपनी सिफारिशें करने के दौरान लो.ले.स. द्वारा अपने 66वें एवं 96वें प्रतिवेदन में विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताये गये कारणों को पहले ही विचारार्थ लिया गया था।

4.3 बजट रेखा के बिना किया गया व्यय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि विधि अनुसार किये गये विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2014-15 के लिए डाक विभाग तथा दूरसंचार विभाग से सम्बन्धित क्रमश: अनुदान संख्या 13 तथा 14 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि संसदीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त किसी बजट प्रावधान के बिना ₹521.85 करोड़ की राशि खर्च की गई थी जैसा **तालिका 4.2** में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.2: बजट रेखा के बिना किया गया व्यय

अनुदान संख्या तथा लेखा शीर्ष	राशि (₹करोड़ में)	विभाग का उत्तर
13-डाक विभाग		
3201.05.053.01.04.27	0.01	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि त्रुटि गलत वर्गीकरण के कारण हुई और सही वस्तु शीर्षों का चित्रण ई-लेखा में कर दिया गया है और भविष्य में पुरावृत्ति नहीं होगी।
3201.06.101.04.01.31	0.40	
3201.06.101.04.03.31	0.03	
3201.06.101.05.00.28	14.79	
3201.08.101.02.01.28	7.59	
3201.08.101.03.01.28	0.02	
3201.08.101.04.01.28	18.76	
3201.08.101.05.01.28	1.13	
5201.00.202.02.00.53	0.65	
14 – दूरसंचार विभाग (दू.वि.)		
2071.01.101.01.03.04	346.48	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि अक्तूबर 2013 में बी.ई. 2014-15 अनुमान बनाने के समय पर डी.ओ.टी. द्वारा एम.टी.एन.एल पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा था। एम.टी.एन.एल कर्मचारियों को पेंशन भुगतान का अनुमान बीई में शामिल नहीं किया जा सका था क्योंकि डी.ओ.टी. द्वारा अप्रैल 2014 से एम.टी.एन.एल. कर्मचारियों को पेशन का भुगतान सरकार द्वारा जनवरी 2014 में अनुमोदित किया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि विभाग को अनुपूरक प्रावधान के लिए जाना चाहिए। यह बजट के दोषपूर्ण प्रणाली का सूचक है।
2071.01.102.01.03.04	61.28	
2071.01.104.01.03.04	70.70	
2071.01.105.02.03.04	0.01	
जोड़	**521.85**	

4.4 कैंटीन स्टोर्स विभाग (सी.एस.डी) में व्यय बजट से प्राप्ति/विविध आय शीर्ष को निधि का पुर्नविनियोजन

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 के अनुसार वस्तु 'शीर्ष 45-ब्याज' में पूंजी पर ब्याज और ऋणों पर छूट शामिल होगा।

अनुदान सं. 20-रक्षा मंत्रालय और वर्ष 2014-15 के सी.एस.डी के वार्षिक लेखाओं की जांच से पता चला कि यद्यपि सी.एस.डी के लेखे में कोई ऋण नहीं था परन्तु अनुदान की विस्तृत मांग में वस्तु 'शीर्ष 45-ब्याज' के अन्तर्गत ₹140.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था।

सी.एस.डी के वार्षिक लेखों तथा लाभ-हानि लेखे की जांच से पता चला कि वस्तु 'शीर्ष 45-ब्याज' के अन्तर्गत संसद द्वारा प्राधिकृत राशि की "पूंजी पर ब्याज के प्रति अंशदान/अनुदान सहायता" के रूप में "प्राप्ति/विविध आय" को विपथित कर दिया गया। सी.एस.डी में यह कार्यप्रणाली अनेक वर्षों से प्रचलित रही है।

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान सी.एस.डी द्वारा अंशदान/अनुदान सहायता (पूंजी पर ब्याज के प्रति) के रूप में ₹624.43 करोड़ की राशि व्यय बजट से प्राप्ति/विविध आय को विपथित की गई थी। विवरण नीचे **तालिका** में दर्शाए गए है:

तालिका 4.3: वस्तु 'शीर्ष 45-ब्याज' के अन्तर्गत व्यय का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	(ब्याज) के अन्तर्गत वास्तविक व्यय (सी एस डी)
2014-15	145.20
2013-14	132.67
2012-13	119.83
2011-12	115.14
2010-11	111.59
जोड़	**624.43**

महानियंत्रक-रक्षा लेखा (सी.जी.डी.ए) ने बताया (सितम्बर 2015) कि पूंजी पर ब्याज का संकलन वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 27 दिसम्बर 1983 के निर्देश के अनुसार अनुदान सं. 20-रक्षा मंत्रालय (सिविल) में मुख्य शीर्ष 2075 के अन्तर्गत किया जा रहा था। सी.जी.डी.ए ने आगे बताया कि हमारी लेखा पुस्तकों में इन शीर्षों को खोलने से पूर्व सी.जी.ए कार्यालय, सी.ए.जी.

कार्यालय और डी.जी.ए.डी.एस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था और यह प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से अपनाई गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्याज भुगतान के प्रति व्यय हेतु संसद द्वारा प्राधिकृत राशि आखिरकार सी.एस.डी. वार्षिक लेखों के अन्तर्गत अंशदान/अनुदान सहायता (पूंजी पर ब्याज के प्रति) द्वारा 'प्राप्ति/विविध आय' के रूप में लेखांकित की गई थी, यद्यपि सी.एस.डी. के लेखे में कोई ऋण लंबित नहीं था।

4.5 प्रावधानों के संवर्धन हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता

4.5.1 वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन

नई सेवा (एन.एस)/सेवा के नए साधन (एन.आई.एस.) से संबंधित मामलों का निर्धारण करते समय लागू किये जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष- सहायता अनुदान में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता है।

विनियोग लेखों तथा ई.लेखा आंकड़ों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि चार अनुदानों के पॉच मामलों में विभिन मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान के ₹ 60.25 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जिसके फलस्वरूप एन.एस/एन.आई.एस. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 4.4: वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य. *	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.11-वाणिज्य विभाग							
1.	3453.00.800.33.00.31 बाजार पहुँच पहल निर्यात अध्ययन	199.99	-	-	199.99	199.9931	0.0031
बाजार पहुँच पहल नियति अध्ययनों हेतु विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि अधिक बुकिंग विदेश मंत्रालय को आबंटित निधियों के कारण थी और विभाग कारणों की पूछताछ कर रहा है							

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य. *	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.52-लोक उद्यम विभाग							
2.	2852.80.800.30.01.31 राज्य स्तर लोक उद्यमों (एस एल पी ई) के अधिकारियों का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.80	0.10	-	0.90	1.02	0.12
विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि एन ई आर से सम्बन्धित मुख्य शीर्ष 2552 के अंतर्गत कुल बजट आवंटन का उल्लंघन नहीं हुआ था। इसलिए संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं था क्योंकि एन एस/एन.आई.एस की सीमा के उल्लंघन की शर्ते पूरी नही हुई थी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि अक्रियाशील शीर्ष 2552.00.317.02.00.31 के अन्तर्गत प्रावधान,उस योजना के लिये नहीं था जो पुर्नविनियोजित किये गए क्रियात्मक शीर्ष के अंतर्गत थी।							
अनुदान सं.59-स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग							
3.	2202.01.789.03.01.31 स्कूलों में अपरान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.00	-	-	0.00	50.00	50.00
विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि राजस्व खण्ड में सीधे व्यय तथा राज्यों/यूटी को अनुदान सहायता के बीच निधियों का पुनर्विनियोग डी एफ पी आर के नियम 10 के नीचे जी आई ओ 3(ii) के अनुसार किया गया था और वित्त मंत्रालय की उसके लिए सहमति ली गई थी। मामला पूरक अनुदान के पहले बैच में संसद को सूचित किया गया था। विभाग का उत्तर इस तथ्य के मददेनजर मान्य नहीं है कि व्यय को प्रत्येक मद की एक निश्चित बजट रेखा निर्धारित रहती है और संसद द्वारा अलग से अनुमोदित की जाती है। किसी मामले को संसद को सूचित करने का अर्थ संसद का अनुमोदन मांगना नहीं है। ऊपर संदर्भित वित्त मंत्रालय के निर्देश और बाद के स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुदान सहायता (उस मामले, जहाँ योजना नई नहीं है, में राज्यों/यूटी को अन्तरणों को छोड़कर) से सम्बन्धित वस्तु शीर्षों के प्रावधान के संबर्धन के सभी मामलों में संसद द्वारा पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता हैं।							
अनुदान सं.60-उच्च शिक्षा विभाग							
4.	2203.00.789.25.00.31 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	37.12	4.12	-	41.24	47.99	6.75
5.	2203.00.796.25.00.31 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	18.56	2.06	-	20.62	24.00	3.38
विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि निधियों का संवंर्धन संसद से सांकेतिक पूरक प्राप्त करने के बाद पुनर्विनियोग के माध्यम से किया गया था। विभाग का उत्तर इस तथ्य के मददेनजर मान्य नहीं है कि प्रत्येक बजटीय मद/संघटक जैसे सामान्य संघटक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र उप योजना के लिए विशेष संघटक योजना के लिए राशि विशेष ब्यौरा दिए बिना संसद से एक मुश्त पूरक अनुदान का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। विभाग को प्रत्येक संघटक के लिए अलग-अलग राशि अनुसार अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था क्योंकि तोनों संघटकों की विभिन्न बजट रेखाएँ थीं।							
	जोड़						**60.25**

* ब.अ.= बजट अनुदान, उ.पू.= मु.शी. *2552/4552/6552*, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, अ.प्रा.= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा.=कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.5.2 वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन

नई सेवा (एनएस.)/सेवा के नए साधन (एन.एस.आई.) से संबंधित मामलों का निर्धारण करते समय लागू किये जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष- सहायता अनुदान में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा. दिनांक 12 फरवरी 2010 के का.ज्ञा. द्वारा विनियोग की प्राथमिक ईकाई के स्तर पर पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2009-2010 से तत्काल प्रभाव से एक नया वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' खोला। मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2012 के का.ज्ञा. से आगे स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष '35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अन्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से प्रावधान का संवर्धन अनुदानों के लिए पूरक मांगों के माध्यम से संसद के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि दो अनुदानों के नौ मामलों में कुल ₹144.72 करोड़ की निधियां मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में संसद के पूर्व अनुमोदन बिना वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत संवर्धित की गई थी जिससे एन.एस/एन.आई.एस. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। निम्न तालिका उन शीर्षों का ब्यौरा देती है जहाँ संसद के अनुमोदन बिना दो अनुदानों में संवर्धन किया गया था।

तालिका 4.5: वस्तु शीर्ष 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.04-परमाणु ऊर्जा विभाग							
1.	3401.00.004.10.26.35 भौतिकी विभाग, भुवनेश्वर	1.25	-	1.25	2.50	4.00	1.50

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.60-उच्च शिक्षा विभाग							
2.	2203.03.789.03.02.35 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-केन्द्रीय विश्व विद्यालय	200.03	15.61	-	215.64	260.64	45.00
3.	2202.03.796.03.02.35 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-केंद्रीय विश्वविद्यालय	99.96	7.81	-	107.77	149.02	41.25
4.	2203.00.789.38.00.35 सीमान्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	0.32	-	-	0.32	2.96	2.64
5.	2203.00.789.26.00.35 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.)	114.15	51.59	-	165.74	195.75	30.01
6.	2203.00.796.26.00.35 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.)	57.08	25.80	-	82.88	97.88	15.00
7.	2203.00.789.47.00.35 अन्य संस्थानों जैसे स्लाईट, नेरिस्ट, निफ्ट राँची, सी.आई.टी., कोकराझार को सहायता	2.10	3.60	-	5.70	11.70	6.00
8.	2203.00.796.47.00.35 अन्य संस्थानों जैसे स्लाईट, नेरिस्ट, निफ्ट राँची, सी.आई.टी., कोकराझार को सहायता	1.05	1.80	-	2.85	5.85	3.00
9.	2203.00.796.50.00.35 डिजाईन नवीनता हेतु राष्ट्रीय पहल	0.23	-	-	0.23	0.55	0.32
उच्च शिक्षा विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि निधियों का संवर्धन संसद से सांकेतिक पूरक प्राप्त करने के बाद पुर्नविनियोजन द्वारा किया गया था। विभाग का उत्तर इस तथ्य के मददेनजर मान्य नहीं है कि प्रत्येक बजटीय मद/संघटक जैसे सामान्य संघटक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र उप योजना के लिए विशेष संघटक योजना के लिए राशि विशेष ब्यौरा दिए बिना संसद से एक मुश्त पूरक अनुदान का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। विभाग को प्रत्येक संघटक के लिए अलग-अलग राशि अनुसार अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था क्योंकि तोनों संघटकों की विभिन्न बजट रेखाएँ थीं।							
	जोड़						**144.72**

*ब.अ.= बजट अनुदान, उ.पू.= मु.शी. *2552/4552/6552*, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विास हेतु प्रावधान अ.प्रा.= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.5.3 वस्तु शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 7 जून 2011 के अपने का.ज्ञा. के माध्यम से वेतनों के भुगतान हेतु सहायता अनुदान पर व्यय को विशेष रूप से दर्शाने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी एक नया वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' आरंभ किया। मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2012 के का.ज्ञा. द्वारा आगे स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत प्रावधान में संवर्धन करने के लिए अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो अनुदानों के तीन मामलों में ₹8.29 करोड़ की कुल निधियाँ वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत संवर्धित की गई थी जिससे एन.एस./एन.आई.एस. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। निम्न तालिका उन शीर्षों का ब्यौरा देती है जहाँ संसद के अनुमोदन बिना संवर्धन किया गया था।

तालिका 4.6: वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.8-औषध विभाग							
1.	2852.05.206.02.01.36 राष्ट्रीय औषद्य शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एन आई पी ई आर)	11.77	-	-	11.77	15.61	3.84
विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि हेतु संशोधित अनुमान 2014-15 में बढ़े हुए गैर-योजनागत राजस्व बजट की बजट प्रमाग, वित्त मंत्रालय की सूचना के बाद पुनर्विनियोग आदेश जारी कर एन.आई.पी.आर.मोहाली हेतु वेतन का प्रावर्धन संवर्धित किया गया है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष 'अनुदान सहायता' के अंतर्गत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान का संवर्धन केवल अनुदानों हेतु पूरक मांगों के माध्यम से संसद के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।						

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.60-उच्च शिक्षा विभाग							
2.	2203.00.789.09.00.36 भारतीय प्रबन्धन संस्थान	1.89	0.13	-	2.02	5.00	2.98
3.	2203.00.796.09.00.36 भारतीय प्रबन्धन संस्थान	0.95	0.08	-	1.03	2.50	1.47
विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि निधियों का संवर्धन संसद से सांकेतिक पूरक प्राप्त करने के बाद पुनर्विनियोग के माध्यम से किया गया था। विभाग का उत्तर इस तथ्य के मददेनजर मान्य नहीं है कि प्रत्येक बजटीय मद/संघटक जैसे सामान्य संघटक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र उप योजना के लिए विशेष संघटक योजना के लिए राशि विशेष ब्यौरा दिए बिना संसद से एक मुश्त पूरक अनुदान का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। विभाग को प्रत्येक संघटक के लिए अलग-अलग राशि अनुसार अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था क्योंकि तोनों संघटकों की विभिन्न बजट रेखाएँ थीं।							
	योग						**8.29**

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. *2552/4552/6552,* के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.5.4 वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन

मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पुनर्विनियोग के माध्यम से वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के अंतर्गत उपलब्ध विनियोग में प्रावधान के संवर्धन हेतु, यदि अतिरिक्तता, पहले से संसद द्वारा दत्तमत्त मौजूदा विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम है, से अधिक है तो संसद की पूर्वस्वीकृति अपेक्षित है।

विनियोग लेखाओं के साथ ई-लेखा डाटा की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि दो अनुदानों के चार मामलों में संसद का पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल ₹202.04 करोड़ की निधियॉ व्यय की गई थीं। **तालिका 4.7** ऐसे-शीर्षो का ब्यौरा दर्शाती है जहॉ संसद के पूर्व अनुमोदन बिना संवर्धन किया गया था जिससे एन.एस./एन.आई.एस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ।

तालिका 4.7: वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.10 कोयला मंत्रालय							
1.	2803.00.101.03.00.33 कोयला तथा कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) के संग्रहण के प्रति भुगतान	169.83	00**	-	169.83	185.00	15.17
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि चालू वित्त वर्ष से अक्रिया शील शीर्ष (एम एच 2552) के स्थान पर संबंधित योजनाओं के कार्यात्मक शीर्ष (एम.एच 2803) के अन्तर्गत जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) के लिए प्रावधान किया गया था। अत: भविष्य में टी एस पी संघटक का उपयोग करने के लिए किसी पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष 2014-15 के दौरान अक्रियात्मक शीर्ष 2552 में जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' से क्रियात्मक शीर्ष 2803 के अंतर्गत सामान्य घटक हेतु वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' को पुनर्विनियोजन अनियमित था जिससे शीर्ष 2803 के अंतर्गत संसद की पूर्वानुमति के बिना संवर्धन हुआ।							
अनुदान सं.12-औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग (डी आई पी पी)							
2.	2885.02.101.04.00.33 केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना	0.01	-***	-	0.01	25.77	25.76
3.	2885.02.101.05.00.33 पूर्वोत्तर हेतु व्यापक बीमा योजना	0.01	-	-	0.01	1.88	1.87
4.	2885.02.101.10.00.33 पूंजी निवेश सब्सिडी	0.01	-	35.00	35.01	194.25	159.24
विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि किसी ब्योरे बिना अकार्यात्मक शीर्ष 2552.00.238.07.00.33 में पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश एवं संवर्धन नीति (एन.ई.आई.आई.पी.पी.) के अन्तर्गत सब्सिडी के लिए एक मुश्त प्रावधान बजट प्रभाग द्वारा इस आशय से किया था कि वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली मांगों के अनुसार एन.ई.आई.आई.पी.पी की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सब्सिडी जारी करने में बेहतर उत्तोलन रखा जा सके। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए डी.डी.जी. में कार्यात्मक शीर्षों से स्पष्ट रूप से मेल खाते हुए अकार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत योजना-वार ब्यौरा प्रदान किया था। 'सब्सिडी' इसके अतिरिक्त, चूंकि 'सब्सिडी' वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत संवर्धन संसद के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है इसलिए योजनावार ब्यौरे दिए जाने आवश्यक हैं। मामले का सी ए जी के 2015 प्रतिवेदन की सं.1 में भी उल्लेख किया गया था।							
योग							**202.04**

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. *2552/4552/6552*, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

**यद्यपि अकार्यात्मक शीर्ष 2552 में जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी.) संघटक के लिए ₹15.17 करोड़ का प्रावधान किया गया था तथापि कार्यात्मक शीर्ष 2803 में जन जातीय उप योजना संघटक नहीं था।

***यद्यपि 2552.00.238.07.00.33- पूर्वोत्तर राज्यों/पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा निवेश संवर्धन नीति के लिए पैकेज के अन्तर्गत ₹186.87 करोड़ का प्रावधान किया गया था तथापि कार्यात्मक शीर्ष के संगत अकार्यात्मक शीर्ष के अन्तर्गत योजना वार ब्यौरे दिए नहीं गए थे जैसा बजट प्रभाग का.ज्ञा.सं. एफ 2(66) बी (सी.डी.एन.) /2001, दिनांक 14 सितम्बर 2015 के अनुसार अपेक्षित था।

4.5.5 वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने नयी सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशा निर्देश से संबंधित दिनांक 25 मई 2006 के का.ज्ञा.के संदर्भ में स्पष्ट किया (दिनांक 21 मई 2012 तथा 5 अक्तूबर 2012) कि वस्तुशीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' एवं '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर एन.एस./ एन.आई.एस के मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक अथवा पहले से दत्तमत्त विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक, जो भी कम हो, की निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी, चाहे संवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो अथवा मौजूदा निर्माणों के लिए।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित तीन अनुदानों के छः मामलों में कुल ₹41.12 करोड़ की निधियों का विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संवर्धन किया गया जिससे नयी सेवा/सेवा के नये साधनों की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। **तालिका 4.8** ऐसे शीर्षों का ब्यौरा देती है जहाँ संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संवर्धन किया गया था जिससे एन.एस/एन.आई.एस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ।

तालिका 4.8: वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण-कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रावधान का संवर्धन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
अनुदान सं.04- परमाणु ऊर्जा विभाग							
1.	5401.00.201.26.08.53 अवसंरचना विकास कार्यक्रम	9.05	-	-	9.05	11.90	2.85
अनुदान सं.20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)							
2.	4047.00.037.01.02.53 तट रक्षक संगठन कोड हेतु (042/02)	250.00	-	6.73	256.73	260.50	3.77
रक्षा मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान संशोधन के पश्चात ₹252.50 करोड़ किया गया था और कि दत्तमत खण्ड के अन्तर्गत केवल ₹1.27 करोड़ का अधिक व्यय था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने संशोधित विनियोग के संदर्भ में अधिक व्यय की गणना की है जिसे संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं है।							
अनुदान सं.92-अन्तरिक्ष विभाग							
3.	3402.00.101.01.00.52 विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र	8.00			8.00	14.00	6.00
4.	5402.00.102.06.00.52 आपदा प्रबन्धन सहायता	5.35	-	-	5.35	10.06	4.71

5.	5402.00.103.09.00.52 मार्स आरबिटर मिशन	3.59	-	-	3.59	24.83	21.24
6.	3402.00.101.55.00.52 इसरो नोदन परिसर (आई.पी.आर.सी)	2.54	-	-	2.54	5.09	2.55
लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि उन्होने संसद के पूर्व अनुमोदन बिना वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' और '53-प्रमुख निर्माण कार्य' के संबंध में निधियों का संवर्धन न करने के संबंध में अपने सभी केन्द्रों/यूनिटों/परियोजनाओं को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।							
योग							**41.12**

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.5.6 वस्तु शीर्ष '55 ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत अधिक व्यय

नई सेवा/सेवा के नए साधन से सम्बन्धित मामलों के निर्धारण करने में लगाई जाने वाली वित्तीय सीमाओं से सम्बन्धित मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किसी वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी/निगम को किसी वित्त वर्ष में भारत की समेकित निधि से ₹1 करोड़ से अधिक का ऋण अनुदान देने के लिए, जहाँ कोई बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं पूरक मांग के माध्यम से संसद का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान सं.77 के विनियोग लेखे और अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एन.टी.पी.सी. से प्राप्त बोनस ऋण-पत्रों की बुकिंग के लिए संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना उप-शीर्ष 6801.00.190.07-एन.टी.पी.सी. को ऋण के अंतर्गत वस्तु 'शीर्ष 55-ऋण एवं अग्रिम' के अन्तर्गत शून्य बजट प्रावधान के प्रति मंत्रालय द्वारा लेखाओं में ₹7,725.77 करोड़ का ऋण बुक किया गया था जिससे एन आई एस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि भारत सरकार के पक्ष में एन टी पी सी द्वारा बोनस ऋणपत्र जारी करने से संबंधित लेन-देन 26 मार्च 2015 को हुआ था। अत: लेन-देन 26 मार्च 2015 बोनस ऋण पत्रों का उपर्युक्त मामला विनियोग लेखे 2014-15 के सदृश संघ सरकार वित्त लेखे में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एम.एच '6801' को कोन्ट्रा डेबिट करते हुए प्राप्ति मुख्य शीर्ष '4000' के अन्तर्गत लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप एन.टी.पी.सी. को ऋण हो गया। यद्यपि यह विनियोग लेखे में आधिक्य के रूप में प्रदर्शित हुआ परन्तु वास्तुव में अनुमोदित बजट से अधिक कोई नकद संवितरण नहीं हुआ था। तथापि विनियोग लेखे के अनुसार अधिक व्यय हुआ है।

4.6 पूंजीगत लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 112(2) अनुबंधित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरणियों में राजस्व लेखे पर व्यय अन्य व्यय से भिन्न दर्शाया जायेगा। तदनुसार राजस्व लेखे एवं पूंजीगत लेखे पर व्यय का वर्गीकरण करने हेतु सिद्धान्तों की अनुपालना की जानी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में राजस्व प्रकृति के व्यय के पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत वर्गीकरण के मामले इंगित किए गए थे। फिर भी कुछ मंत्रालयों/विभागों ने गलत संसदीय प्राधिकरण प्राप्त करना जारी रखा जो अंतिम व्यय को दर्ज करने में गलत वर्गीकरण का कारण बना जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.6.1 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 विनियोग की प्राथमिक इकाईयों का वर्गीकरण करता है। 51 से 56 तथा 60 वस्तु शीर्ष को वर्ग छः में समाहित किया गया है। जैसा **अनुबंध 4.1** में दर्शाया गया है। ये वस्तु शीर्ष पूंजीगत प्रवृत्ति के व्यय की बुकिंग से संबंधित है, और इसलिए केवल पूंजीगत मुख्य शीर्ष के सदृश ही होने चाहिए।

वर्ष 2014-15 हेतु ई-लेखा डाटा सहित शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में छः मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित 10 मामलों का पता चला जहाँ इन वस्तु शीर्षों का राजस्व मुख्य शीर्षों के साथ उपयोग किया गया था जैसा नीचे **तालिका** में दर्शाया गया है, यदि यह व्यय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय के प्रति किया जाता, इसका परिणाम पूंजीगत व्यय को ₹248.19 करोड़ से कम बताये जाने में होता।

तालिका 4.9: पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	2852	51/52/60	16.14	उत्तर प्रतीक्षित है।
2.		3401	51/52	11.05	उत्तर प्रतीक्षित है।

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
3.	20-रक्षा मंत्रालय	2037	52	78.62	मंत्रालय ने स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2015) कि वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' 2015-16 से निकाल दिया गया है।
4.		2075	53	6.84	मंत्रालय ने स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2015) कि वस्तु शीर्ष '53 मुख्य निर्माण कार्य' 2015-16 से निकाल दिया गया है।
5.	92-अन्तरिक्ष विभाग	3402	52	35.24	विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि उन्होने अपने सभी केन्द्रों/यूनिटों/परियोजनाओं को 2015-16 से राजस्व खंड के अंतर्गत इस वस्तु शीर्ष को प्रचालित न करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं।
6.	60-उच्च शिक्षा विभाग	2202	53	1.91	विभाग ने कहा (अक्तूबर 2015) कि मामले को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।
7.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2230	52	9.72	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि 2015-16 से राजस्व खंड में वस्तु शीर्ष '52' के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
8.	106-जल संसाधन मंत्रालय	2701	51/52/53	23.60	उत्तर प्रतीक्षित है।
9.		2702	51/52/53	59.74	
10.		2711	51/52	5.33	
	योग			**248.19**	

व्यय आंकड़े स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प/समेकित सार

4.6.2 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली,1978 (डी.एफ.पी.आर.) का नियम 8, मोटे तौर पर वस्तु वर्ग 6 के अतिरिक्त किसी भी अन्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों को राजस्व प्रकृति के व्यय के तौर पर वर्गीकृत करता है। तदनुसार, वस्तु वर्ग 6 के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों को सामान्यत: पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2014-15 के शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं व ई-लेखा डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा से चार मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित सात मामले प्रकाश में आए जहॉ राजस्व प्रकृति के वस्तु शीर्षों को गलत प्रकार से पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ परिचालित किया गया था। यदि यह व्यय पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण एवं अन्य पूंजीगत मदों पर नहीं किया गया होता तो इन गलत वर्गीकरणों का परिणाम संघ सरकार के राजस्व व्यय को ₹124.99 करोड़ से कम दर्शाए जाने में होता जैसा कि **तालिका 4.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	4861	27	54.75	उत्तर प्रतीक्षित है।
2.		5401	27	3.71	उत्तर प्रतीक्षित है।
3.	96-पर्यटन मंत्रालय	5452	28	1.71	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि वह किसी भी नये अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व परियोजना प्रबंधन सलाहकार पर व्यय को "व्यावसायिक सेवाएँ" शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग के मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठायेगा।
4.	98-अंडमान एवं निकोबार	4801	21	55.54	मुख्य वेतन तथा लेखा कार्यालन ने आश्वासन दिया था कि 2015-16 से वर्गीकरण सही प्रकार किया जाएगा। तथापि सम्बन्धित विभाग की टिप्पणियां प्रतीक्षित है।
5.		5052	50	1.05	
6.		5452	50	6.23	
7.	102- लक्षद्वीप	4810	35	2.00	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि मामला उपचारी कार्रवाई हेतु मंत्रालय/सी.जी.ए. के साथ उठाया गया और मंत्रालय ने सलाह दी है कि राजस्व खंड के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 35 प्रचालित किया जाना चाहिए।
	कुल योग			**124.99**	

4.6.3 व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर ₹365 करोड़ की राशि के व्यय का पूंजीगत खंड में गलत दर्ज किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 79 के साथ पठित सरकारी लेखांकन नियमावली, 1990 का नियम 31, अनुबंधित करता है कि स्थायी अथवा अल्पकालिक प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया गया किसी प्रकार का व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सृजित सम्पत्ति का स्वामित्व भी इसके सृजन पर हुए व्यय तथा अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में वर्गीकृत किए जाने की अर्हता प्राप्त करने के लिए सरकार के पास रहेगा।

इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 48 में संदर्भित परिशिष्ट 3 का पैरा 4 अनुबंधित करता है कि बजट में कोई एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा सिवाय उसके जहां आकस्मिक परिस्थिति से निपटने हेतु तुरंत उपाय प्रदान किए जाने हैं अथवा ऐसी परियोजना/योजना पर प्रारंम्भिक व्ययों को किया जाना है जिसे वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किए जाने हेतु सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली का नियम 8 अनुबंधित करता है कि वस्तु शीर्ष '42- एक मुश्त प्रावधान' का उपयोग, योजनाओं, जिसका प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हो, के संबंध में व्यय को दर्ज करने हेतु किया जाना चाहिए।

वर्ष 2014-15 हेतु आर्थिक कार्य विभाग से सम्बन्धित अनुदान सं.33 के विनियोग लेखे के साथ समेकित सार एवं अनुदानों हेतु विस्तृत मांग की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वी.जी.एफ.) के रूप में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दी गयी सहायता के रूप में ₹365 करोड़ के व्यय को अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में दर्ज किया गया था। चूंकि अवसंरचना विकास के लिए सहायता अनुदान, एक बार की अथवा आस्थगित, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के माध्यम से उन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से शुरू की गयी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऐसे व्यय को वस्तु शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के प्रति शीर्ष 5475- अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय, 12-अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण हेतु सहायता के अंतर्गत दर्ज करना ऊपर उल्लेखित नियमावली के विपरीत था। इस व्यय को अनुदान के राजस्व प्रभाग के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, वस्तु शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के तहत व्यय हेतु प्राप्त ₹670 करोड़ का प्रावधान मौजूदा निर्देशों के उल्लंघन में था, जो अनुबंधित करते हैं कि एक मुश्त प्रावधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य सभी मामलों में व्यय के अन्य विषयों के अनुसार विवरण दिया जाना चाहिए। इस विषय को म.नि.ले.प. के 2013, 2014 एवं 2015 के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था, लेकिन उचित शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि व्यवहार्यता अन्तर वित्तपोषण पर व्यय हेतु राजस्व खंड के अधीन नया लेखा शीर्ष खोलना प्रक्रियाधीन था। मामला बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय के पास उनकी टिप्पणियों के लिए लम्बित था।

4.6.4 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 79 अनुबंधित करता है कि अनुरक्षण, मरम्मत, रख-रखाव तथा कार्य चालन व्ययों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों के क्रियात्मक स्थिति में अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, तथा संगठन के दिन-प्रति-दिन परिचालन हेतु स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित, किये गये सभी अन्य व्यय को भी, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2014-15 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखों के एवं ई-लेखा डाटा की लेखा परीक्षा संवीक्षा में तीन विभागों से सम्बन्धित पांच मामलों में पता चला कि राजस्व प्रकृति का व्यय, पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा इसके प्रतिक्रम में वर्गीकृत किया गया था जिसका परिणाम राजस्व व्यय के अधिक बताए जाने/कम बताए जाने तथा ₹16.04 करोड़ द्वारा संघ सरकार के राजस्व घाटे पर प्रभाव होने में भी हुआ जैसा कि **तालिका 4.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.11: अनुदान के विभिन्न प्रभागों के बीच गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा आपत्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	11-वाणिज्य विभाग	180.00	फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफ.डी.डी.आई.) को (पटना, हैदराबाद एवं मध्य प्रदेश में गुना में) की नई शाखाओं की स्थापना तथा एफ.डी.डी.आई. प्रशिक्षण केन्द्र (छिंदवारा) में विस्तार एवं उन्नयन हेतु जारी ₹180.00 करोड़ की राशि को वस्तु शीर्ष 5453.80.800.10.01.53 'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत प्रभाग के लेखे में बुक किया गया। इस व्यय के वर्गीकरण हेतु सही वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' होना चाहिए था।	लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि वर्ष 2015-16 के लिये अनुदान हेतु मांग में मुख्य शीर्ष 3453 के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 35 में आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है।
2.		1.00	परिसर नेटवर्किंग केन्द्र (एफ.डी.डी.आई.-सी.एन.सी.) की स्थापना, वर्तमान कैंपसों तथा चमडा वस्तुओं के श्रेष्ठता केन्द्रों के पावलट संयंत्र के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु एफ.डी.डी.आई को जारी ₹1.00 करोड़ का व्यय अनुदान के राजस्व प्रभाग में वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत बुकिंग की बजाए वस्तु शीर्ष 5453.80.800.10.02. 53- 'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में बुक किया गया था।	
3.	33-आर्थिक मामले विभाग (डी ई ए)	67.00	अफ्रीकी विकास निधि को भारत सरकार द्वारा किए गए अंशदान को दर्शाने वाला ₹67.00 करोड़ का व्यय अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में वस्तु शीर्ष 5466.00. 205.02.00.54 'निवेश' के अंतर्गत बुक किया गया था। व्यय की प्रकृति अंशदान होने के कारण, इसे अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '32-योगदान' के प्रति उचित रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि इस गलत वर्गीकरण का सुधार करने के उद्देश्य से 2015-16 के दौरान अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत तकनीकी पूरक लेने के बाद 'अफ्रीकी विकास निधि के प्रति योगदान' के लिए नया उपशीर्ष प्राप्त किया जाएगा।
4.	92-अतंरिक्ष विभाग	10.44	राजस्व प्रभाग के वस्तु वर्ग-2 (प्रशासनिक खर्चे) के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय खर्चे' के अंतर्गत बुक किए जाने के स्थान पर विद्युत प्रभारों पर ₹10.44 करोड़ का व्यय पूंजीगत भाग में विभाग की विभिन्न परियोजनाओं/केन्द्रों के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय के अंतर्गत बुक किया गया था।	विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि उन्होने अपने सभी केन्द्रों/यूनिटों/परियोजनाओं को विभिन्न वस्तु शीर्षों के अंतर्गत व्यय की बुकिंग पर एक सार संग्रह जारी किया है।

क. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा आपत्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
राजस्व व्यय ₹258.44 करोड़ कम बताया गया				
राजस्व व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	92-अंतरिक्ष विभाग	274.48	अंतरिक्ष विभाग ने दिनांक 16 अप्रैल 2007 के अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एक वर्ष से अधिक के सेवाकाल (ऐसे उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवाओं समेत) वाले उपग्रहों के मामले में 'आपूर्तियों एवं सामग्री' तथा 'अन्य प्रभारों' पर हुआ व्यय 'अन्य पूंजीगत व्यय' के रूप में वर्गीकरण योग्य है। 23 मामलों में व्यय राजस्व प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियाँ एवं सामग्री' और '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत गलत प्रकार बुक किया गया था जिसे वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत 'पूंजीगत भाग' में वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सही प्रकार बुक किया जाना चाहिए था।	विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि उन्होने 2015-16 से आगे राजस्व प्रभाग के अधीन वस्तु शीर्ष-52 प्रचालित न करने के लिए अपने सभी केन्द्रों/यूनिटों/परियोजनाओं को विभिन्न वस्तु शीर्षों के अंतर्गत व्यय बुक करने पर एक सार संग्रह जारी किया है।
₹274.48 करोड़ से राजस्व व्यय का अधिकथन				
समग्र प्रभाव: ₹16.04 करोड़ से राजस्व व्यय को अधिक बताया गया था।				

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत तरीके से वर्गीकरण का प्रभाव पूंजीगत व्यय के ₹748.43 करोड़ द्वारा अधिकथन एवं पूंजीगत व्यय के ₹522.67 करोड़ से न्यूनोक्ति में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹225.76 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अधिकथन में हुआ। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹225.76 करोड़ के बराबर राशि के राजस्व घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

4.7 अनुदान/विनियोग के एक ही प्रभाग के भीतर गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

4.7.1 भारतीय लोक लेखे के स्थान पर भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) एवं (2) प्रावधान करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राजकोषीय बिल जारी कर उगाहे गये सभी ऋण, अन्य ऋण अथवा अर्थोपाय अग्रिम तथा उस सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त की गई समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे 'भारत की समेकित निधि' (सी एफ आई) कहा जाएगा। उस सरकार की सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त जो कि समेकित निधि से

संबंधित हैं, कुछ अन्य लेन-देन सरकारी लेखों में प्रविष्ट किए जाते हैं जिनके संबंध में सरकार बैंकर के रूप में अधिक अथवा अंतरणकर्ता के रूप में कार्य करती है। अत: प्राप्त किए गए सार्वजनिक धन को लोक लेखे में रखा जाता है, तथा संबंधित संवितरण भी वहीं से किए जाते हैं।

(क) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2014-15 से संबंधित अनुदान सं.10 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा उनके पक्ष कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु जमा राशियां निक्षेप कार्य के रूप में लोक लेखे के माध्यम से लेने-देन पारित करने के स्थान पर कोयला समृद्ध क्षेत्रों के भू मालिकों को मुआवजे के भुगतान के प्रति सी.एफ.आई. से किये गये पूंजीगत व्यय में कटौती के रूप में ली जा रही थीं। कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु सी.एफ.आई से पूंजीगत शीर्ष (4803.00.800.01.00.54) में ₹1048.83 करोड़ का व्यय किया था तथा उस व्यय को सी.आई.एल से प्राप्तियों के साथ निवल किया गया था। चूंकि कोयला समृद्ध क्षेत्रों को सी.आई.एल द्वारा किए गए विशिष्ट जमा के प्रति अधिग्रहित किया गया था, इस लेन-देन को भारत की समेकित निधि के माध्यम से पारित नहीं किया जाना चाहिए था। इस मामले को 2013, 2014 एवं 2015 के म.नि.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था।

यह भी देखा गया कि किया गया खर्च ₹1048.83 करोड़ था जबकि व्यय की कटौती में समायोजित वसूलियां ₹872.70 करोड़ की थीं जिसके परिणामस्वरूप ₹176.13 करोड़ का अन्तर अस्पष्ट रह गया।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि भारत की समेकित निधि की बजाय लोक लेखे में व्यय की बुकिंग हेतु औपचारिकताओं को सी.जी.ए के साथ (वित्त मंत्रालय के परामर्श से) उठाया गया है।

(ख) वर्ष 2014-15 हेतु विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 77 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि (एन.टी.पी.सी) द्वारा उनके पक्ष में कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु राशियां निक्षेप कार्य के रूप में लोक लेखे के माध्यम से लेन देन पारित करने के बजाय भारत की समेकित निधि से किए गए पूंजीगत व्यय में कमी के रूप में ली जा रही थीं। भारत की समेकित निधि से पूंजीगत शीर्ष 480102.190.02.02.54 में कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु ₹73.74 करोड़ का व्यय किया गया और इस व्यय को प्राप्तियों के साथ निवल

किया गया था। चूंकि कोयला समृद्ध क्षेत्र एन टी पी सी द्वारा किए गए विशिष्ट जमा के प्रति अधिग्रहीत किए गए थे, लेन-देन भारत की समेकित निधि के माध्यम से पारित किया जाना चाहिए था। मामला नि.म.ले.प. के 2015 के प्रतिवेदन सं.1 में भी उठाया गया था।

तथ्यों और आंकडों की पुष्टि करते हुए मंत्रालय ने जून 2015 की कार्रवाई टिप्पणी में दिये गए तर्क को दोहराया (नवम्बर 2015) कि उन्होने बजटीय प्रयोजन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा सहमत प्रक्रिया का पालन किया। एन.टी.पी.सी. केवल तभी निधियां उपलब्ध कराता है जब कोयला कोयला खनन क्षेत्रो मे आवश्यकता उत्पन्न होती है और विद्युत मंत्रालय से निर्गम की मांग की जाती है। एन.टी.पी.सी. से निधियां प्राप्त हो जाने के शीघ्र बाद विद्युत मंत्रालय द्वारा उतनी ही राशि जारी की जाती है। मंत्रालय ने आगे बताया कि भारत के लोक लेखे के माध्यम से कोयला समृद्ध क्षेत्रों के प्रति व्यय पारित करने सम्बन्धित मामला बजट प्रभाग, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय तथा महालेखानियंत्रक लेखा कार्यालय के साथ नये सिरे से उठाने के लिए नोट कर लिया गया है।

4.7.2 वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' का परिचालन न होना

व्यय विभाग वित्त मंत्रालय, ने 1 अप्रैल 2011 से एक नया वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान- वेतन' वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 8 के नीचे वस्तु श्रेणी-4 के अंतर्गत वस्तु शीर्षों की सूची में प्रस्तुत किया।

वर्ष 2014-15 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा द्वारा ज्ञात हुआ कि इस वस्तु शीर्ष को निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित नहीं किया गया था, जैसा जिसका विवरण **तालिका 4.12** में दिया गया है:

तालिका 4.12: वस्तु शीर्ष 'सहायता-अनुदान-वेतन' का परिचालन न होना'

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखापरीक्षा आपत्ति एवं मंत्रालय/विभाग का उत्तर
1.	11-वाणिज्य विभाग	विभाग ने वेतन, यात्रा किराया, कर आदि पर व्यय पूरा करने के लिए कृषि तथा संवर्धिक खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए) को ₹1.00 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की तथा वस्तु शीर्ष '36-अनुदान सहायता वेतन' के अन्तर्गत वेतन घटक के तहत व्यय वर्गीकृत करने के बजाए वस्तु शीर्ष 3453.00.800.11.00.31- अनुदान सहायता-सामान्य' के अन्तर्गत व्यय बुक किया गया था। एक अन्य मामले में प्रशासनिक लागत और शिमला स्थित क्षेत्रीय एस एम ई केन्द्र के लिए संकायों को वेतन भुगतानों की लागत पर व्यय पूरा करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आई एफ टी) को 'अनुदान सहायता सामान्य' के रूप में संवितरित की गई ₹2.00 करोड़ की राशि भी '36 अनुदान-सहायता वेतन' के बजाय वस्तु शीर्ष 3453.00.800.37.01.31 'अनुदान-सहायता सामान्य' के अन्तर्गत बुक की गई थी। ए.पी.ई.डी.ए.के. मामले में प्रधान लेखा कार्यालय, वाणिज्य विभाग ने पूर्व मामले में बताया (सितम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा की आपत्ति नोट करली गई है और उसे आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित प्रभागों को परिचालित किया गया था।
2.	14-दूरसंचार विभाग	विभाग ने टेलीमेटिक्स प्रभागों विकास केन्द्र (सी-डॉट) को ₹197.75 करोड़ की राशि जारी की। प्राप्त कुल अनुदान में से सी-डॉट ने ₹139.89 करोड़ की राशि वेतन तथा स्टाफ लाभों के रूप में वितरित की। तथापि विभाग द्वारा ₹197.75 करोड़ की सम्पूर्ण राशि इसे वस्तु शीर्ष '31-अनुदान सहायता-सामान्य' तथा '36-अनुदान सहायता-वेतन' में अलग करने के बजाय 'अनुदान सहायता सामान्य के रूप में बुक की गई थी। विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि एक नया लेखा शीर्ष '3451.00.091.03.00.36 अनुदान सहायता वेतन डी डी जी 2015-16 में खोला गया है और बीई 2015-16 में ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष भी पूछे जाने पर विभाग द्वारा यही उत्तर दिया गया था।
3.	15-इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	विभाग ने अनुदान सहायता सामान्य के रूप में वस्तु शीर्ष '2852.07.202.01.03.31' के अन्तर्गत आई टी अनुसंधान अकादमी को ₹8 करोड़ जारी किए यद्यपि इसमें ₹1.25 करोड़ का वेतन संघटक शामिल था जिसे वस्तु शीर्ष '36-अनुदान सहायता-वेतन' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2015) कि सभी कार्यक्रम डिवीजनों से अपने जी आई ए निर्गमों की समीक्षा करने और अपने व्यय अनुमानों के संबंध में पूंजीगत जी आई ए सामान्य परिसम्पत्तियों के अनुदानों, और जी.आई.ए. वेतन के विच्छेद प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखापरीक्षा आपत्ति एवं मंत्रालय/विभाग का उत्तर
4.	77-विद्युत मंत्रालय	मंत्रालय ने गोवा तथा यू.टी. के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जे ई आर सी) को ₹5.42 करोड़ का अनुदान जारी किया जिसमे से उन्होने वेतन पर व्यय करने के लिए ₹0.92 करोड़ का उपयोग किया। तथापि कुल ₹5.42 करोड़ की जारी राशि शीर्ष 2801.80.800.23.00.31 'अनुदान सहायता सामान्य के अन्तर्गत बुक की गई जबकि वस्तु शीर्ष '36- अनुदान सहायता-वेतन' के अन्तर्गत वेतन घटक पर ₹0.92 करोड़ का व्यय वर्गीकृत किया जाना चाहिये था। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि तथ्य तथा आकड़ों की पुष्टि की जाती हैं। उन्होने आगे बताया कि लेक लेखे में जे ई आर सी गोवा एवं यू टी निधि में लेखांकन प्रक्रिया और उनसे व्यय करने के सम्बन्ध में अनुमोदन हेतु सी ए जी कार्यालय तथा सी जी ए कार्यालय में लम्बित है। अनुमोदन की प्राप्ति पर वस्तु शीर्ष को सरल और कारगर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जांएगे।
5.	95-कपड़ा मंत्रालय	मंत्रालय ने भारतीय फेशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एप.टी.) को उसके रायवरेली केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु ₹1.50 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की और वस्तु शीर्ष '36-अनुदान सहायता वेतन' के अन्तर्गत सही प्रकार व्यय वर्गीकृत करने के बजाय वस्तु शीर्ष 2852.08.202.02.07.31-'अनुदान सहायता सामान्य' के अन्तर्गत लेखे में उसे बुक किया। मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि आपत्तियों को अनुपालना हेतु प्रशासनिक प्रभागों की जानकारी में लाया गया है।

4.7.3 अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षो में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों का निर्धारण करता है। वस्तु शीर्षों की सूची तथा इसके अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले व्यय के विवरण **अनुबंध-4.1** में दिए गए हैं।

संमीक्षा मे पाया गया कि 19 अनुदानों/विनियोगों के 27 मामलों में कुल ₹2,954.65 करोड़ की निधियों को विनियोजन की इन प्राथमिक इकाईयों अर्थात वस्तु शीर्षों के मध्य गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिनका **तालिका 4.13** में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.13: अनुदान के उसी प्रभाग में वस्तु शीर्षों के अंतर्गत गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
1.	7-उर्वरक विभाग	1.81	2852/50	₹0.81 करोड़ का व्यय आउटसोर्स कार्मिकों, सलाहकारों को लगाने पर किया गया था और ₹1.00 करोड़ कम्प्यूटरों, इनके उपसाधनों, उपभोज्यों की खरीद, लैन के अनुरक्षण और उर्वरक निगरानी प्रणाली के अनुरक्षण आदि पर किया गया था, तथापि ₹1.81 करोड़ का कुल व्यय वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के बजाए वस्तु शीर्ष 2852.03.800.02.99.50 'अन्य प्रभार'के अन्तर्गत लेखे में बुक किया गया था और कम्प्यूटरों, इनके उपसाधनों, उपभोज्यों की खरीद तथा लैन आदि का अनुरक्षण व्यय ओ एच-13- 'कार्यालय खर्चे' के अन्तर्गत बुक किया जाना चाहिए था।
तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि नया शार्ष खोल दिया गया है और कम्प्यूटरों और इनके उपसाधनों, उपभोज्यों, की खरीद, लैन का अनुरक्षण आदि शीर्ष 3451.00.090.33.99.13- 'कार्यालय खर्चे' के अन्तर्गत बुक किए जा रहे हैं और आउटसोर्स कार्मिकों, सलाहकारों को लगाने के भुगतान चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2015-16 से शीर्ष'28-व्यावसायिक सेवाएं' के अन्तर्गत बुक किए जा रहे हैं ।				
2.	10-कोयला मंत्रालय	7.65	2230/32	कोयला खान भविष्य निधि संगठन को प्रशासनिक प्रभारों के प्रति ₹7.65 करोड़ और अनुसंधान एवं विकास, खोज, विस्तृत ड्रिलिंग प्रयोजनों के प्रति ₹212.48 करोड़ के व्यय किए गए थे तथा क्रमश: मुख्य शीर्ष 2230 तथा 2803 के अन्तर्गत वस्तु शीर्ष '32 अंशदान' के अन्तर्गत गलत प्रकार से वर्गीकृत किए गए थे। ये व्यय कोयला तथा लिग्नाइट क्षेत्र के प्रति विशेष सहायता होने के कारण सम्बन्धित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वस्तु शीर्ष '31-अनुदान सहायता-सामान्य' के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाने चाहिए थे।
3.		212.48	2803/ 32	

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि 2015-16 की अनुदानों की विस्तृत भागों में योजनाओं के वस्तु शीर्ष '32-अंशदान' से '31-अनुदान सहायता-सामान्य' में बदल कर हैं सम्मिलित कर लिया गया है।				
4	11-वाणिज्य विभाग	31.45	3453/ 31	कोलकाता परिसर तथा कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में अतिरिक्त होटल सुविधाओं के निर्माण पर व्यय को पूरा करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आई एफ टी) को जारी की गई ₹31.45 करोड़ की राशि का व्यय वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के स्थान पर वस्तु शीर्ष 3453.00.800.37.01.31 अनुदान सहायता-सामान्य के अन्तर्गत लेखे में बुक किया गया था।
लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि वेतन तथा लेखा कार्यालय ने '35' के बजाय वस्तु शीर्ष '31' में व्यय अनजाने में बुक किया था। तथापि, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वस्तु शीर्ष '35' के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है।				
5.	12-औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1.33	2852/ 01,11,13,20, आदि.	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एन एम सी सी) दिनांक 6 अक्तूबर 2004 की अधिसूचना के द्वारा एक स्वायत्त निकाय है। उपशीर्ष 2852.80.800.19 के अन्तर्गत अनुदान के राजस्व भाग में एन एम सी सी के स्थापना खर्चों के प्रति ₹1.33 करोड़ का व्यय किया गया। चूंकि एन एम सी सी एक स्वायत्त निकाय है, उससे सम्बन्धित आबंटन/व्यय वस्तु शीर्ष क्रमश:'36-अनुदान सहायता-वेतन'तथा '31-अनुदान सहायता सामान्य' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
विभाग ने जी एफ आर के नियम 206 के प्रावधान का संदर्भ देते हुए बताया (सितम्बर 2015) कि अनुदान सहायता एक विशेष संविधि के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में अथवा समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति के रूप में स्थापित किसी संगठन को दी जा सकती है। इसलिए एन एम सी सी के मामले में बजटीय प्रावधान अनुदान सहायता के अन्तर्गत नहीं दिया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के भदेदनजर अनुपालन हेतु एन एम सी सी को निर्देश जारी किया जा रहे हैं। 6 अक्तूबर 2004 की अधिसूचना के अंतर्गत एन.एम.सी.सी. एक स्वायत्त निकाय है तथा इसे अनुदान सहायता द्वारा ही वित्तपोषित किया जाना चाहिए।				
6.	14-दूरसंचार विभाग	2086.97	3275/50	विभाग ने '33-सब्सिडी' के बजाय वस्तु शीर्ष- '50 अन्य प्रभार' के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को राष्ट्रीय ऑटिकल फाईबर नेटवर्क नेटवर्क परियोजना के लिये और अन्य दूरसंचार सेवा पर्दाता (टी एस पी) को सब्सिडी दावों के निपटान के रूप में ₹2086.97 करोड़ का व्यय बुक किया।
विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि एक नया वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' खोल दिया गया है।				
7.	15-इलेक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1.44	2852/20	विभाग ने '16-प्रकाशन' के बजाय वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक खर्चे' के अन्तर्गत एम सी आई टी लाइब्रेरी कंसोर्टियम में ई-संसाधनों के अंशदान के प्रति ₹1.44 करोड़ की राशि का व्यय बुक किया।
विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2015) कि सभी कार्यक्रम डिवीजनों से किन परिस्थितियों में दो शीर्षों से भुगतान किए गए थे, को स्पष्ट करने के लिए कह दिया गया था।				
8.	16-उपभोक्ता मामले विभाग	1.61	3475/52	विभाग ने मशीनरी एवं उपकरणों की केन्द्रीकृत खरीद की और उनकी सीधे राज्यों/यू.टी. को आपूर्ति कर दी और वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' के अन्तर्गत गलत प्रकार से ₹1.61 करोड़ की राशि का व्यय बुक किया।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
विभाग ने बताया (जून 2015) कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी (नवम्बर 2007) निर्देशों के अनुपालन में व्यय को राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '52' मे बुक किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वस्तु शीर्ष 52-मशीनरी एवं उपकरण पूंजीगत प्रकृति का है और इसे केवल पूंजीगत मुख्य शीर्ष के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।				
9.	33-आर्थिक मामले विभाग	2.50	3475/31	एन सी ए ई आर के परिसर के निर्माण के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी ए ई आर) को संवितरित ₹2.50 करोड़ का अनुदान वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृदन हेतु अनुदान के अन्तर्गत के बजाय वस्तु शीर्ष 3475.00.800.10.04.31-'अनुदान सहायता सामान्य' के अन्तर्गत अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत लेखे में बुक किया गया था।
आर्थिक मामला विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि वर्ष 2013-14 के दौरान, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान के अंतर्गत एन.सी.ए.ई.आर. को अनुदानों के निर्गम हेतु ₹12.50 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। ₹2.50 करोड़ की शेष निधियों के निर्गम हेतु वर्ष 2014-15 के दौरान '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत निधियों को फिर से आवंटित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹2.50 करोड़ का अनुदान परिसर निर्माण के लिये था तथा इसका प्रावधान एवं बुकिंग वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसंपत्तयों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत किया जाना चाहिए था।				
10.		8.27	3475/50	विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को किया गया ₹8.27 करोड़ का भुगतान भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए वस्तु शीर्ष 3475.00.800.07.00.50-अन्य प्रभार के अन्तर्गत बुक किया गया। व्यय सम्बन्धित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वस्तु शीर्ष-'अन्य प्रशासनिक खर्चे' के अन्तर्गत सही प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि नया लेखा शीर्ष 3475.00.800.07.00.20-'अन्य प्रशासनिक खर्चे' डी डी जी 2016-17 में सम्मिलित किया जाएगा क्योंकि सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सहमति के उपरांत वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के स्थान पर नये वस्तु शीर्ष '20' का प्रस्ताव किया गया है। नया शीर्ष वित्त वर्ष 2016-17 से प्रचालन में आ सकता है।				

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
11.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	20.90	2210/32	विभाग ने अनुदान के राजस्व खंड में वस्तु शीर्ष 32-अंशदान के अन्तर्गत गरीब रोगियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि के प्रति ₹20.90 करोड़ का व्यय बुक किया। यह व्यय अनुदान सहायता से सम्बन्धित उचित वस्तु शीर्ष का उपयोग कर सही प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और आश्वासन दिया कि विव 2016-17 के डी डी जी तैयार करते समय सावधानी बरती जाएगी।				
12.	51-भारी उद्योग विभाग	1.96	2852/36	हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड (एच.एस.एल.) के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के भुगतान हेतु वस्तु शीर्ष 2852.08.600.20.00.36 के अन्तर्गत ₹1.96 करोड़ का व्यय बुक किया गया। उपरोक्त व्यय सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत वस्तु शीर्ष '31-अनुदान सहायता सामान्य' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
विभाग ने कहा (नवंबर 2015) कि एच.एस.एल की पेंशन देयताओं हेतु प्रावधान 2016-17 से '31-अनुदान सहायता-सामान्य' के अंतर्गत किये जायेंगे।				
13.	55- पुलिस	496.66	3601/ 31	32 विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ₹496.66 करोड़ की एक राशि वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के बजाय वस्तु शीर्ष 31-अनुदान सहायता सामान्य के अन्तर्गत संस्वीकृत की गई थी जैसा **अनुबन्ध 4.2** में विवरण दिया गया है।
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि उनके पास विभिन्न राज्य सरकारों तथा संगठनों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए जा रहे अनुदानों के अभिप्रेत उद्देश्य से संबंधित कोई सूचना नहीं थी। तथापि लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुपालन में वर्गीकरण का परिवर्तन आरम्भ कर दिया गया है।				

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
14.	66 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय	10.78	2851/20	यात्रा खर्चे और आकस्मिक खरचों के भुगतान के प्रति व्यय पूरा करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को जारी ₹10.78 करोड़ की अनुदान सहायता का व्यय अनुदान के राजस्व प्रभाग में वस्तु शीर्ष '31-अनुदान सहायता सामान्य' के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के बजाय वस्तु शीर्ष 2851.00.105.05.01.20-'अन्य प्रशासनिक खर्चे' के अन्तर्गत लेखे में बुक किया गया था।
मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि खादी एवं ग्रमोद्योग आयोग के यात्रा तथा आकस्मिक खर्चे चालू वित्त वर्ष 2015-16 से शीर्ष '31-अनुदान सहायता-सामान्य' के अन्तर्गत बुक किए जाएंगे।				
15.	73-कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	3.00	2070/35	पेंशन बकाया और पेंशन देयताओं के प्रति ₹3.00 करोड़ का व्यय किया गया था जिसे वस्तु शीर्ष 31-'अनुदान सहायता सामान्य' के बजाय वस्तु शीर्ष 35-'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अन्तर्गत गलत प्रकार बुक किया गया है।
विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि भावी अनुपालन हेतु आपत्ति नोट कर ली गई है।				
16.	77- विद्युत मंत्रालय	3.67	2801/31	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एन.पी.टी.आई.) को अलपुझा, केरल में एन पी टी आई के अन्तर्गत एक नया विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु जारी ₹3.67 करोड़ की अनुदान सहायता वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अन्तर्गत सही प्रकार व्यय वर्गीकृत करने के बजाय वस्तु शीर्ष 2801.80.003.02.00.31-अनुदान सहायता सामान्य के अन्तर्गत लेखे में बुक किया गया था।
तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि वर्ष 2016-17 के लिए ड्राफ्ट अनुदानों की विस्तृत मांग में वस्तु शीर्ष के संबंध में आवश्यक संशोधन किया गया है।				

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
17.	83- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	26.65	3055/20	सडक सुरक्षा संदेशों के प्रसारण, प्रचार सामग्री की छपाई तथा वितरण, समाचार पत्रों में विज्ञापन, अन्य कार्यकलापों, आदि के प्रति किया गया ₹26.65 करोड़ का व्यय वस्तु शीर्ष '26-विज्ञापन तथा प्रचार' के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के बजाय वस्तु शीर्ष 3055.00.004.20.02.20- 'अन्य प्रशासनिक खर्चे' के अन्तर्गत बुक किया गया था।
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि वर्ष 2016-17 से वस्तु शीर्ष 26-विज्ञापन एवं प्रचार' के अन्तर्गत व्यय बुक किया जाएगा और तदनुसार प्रावधान किया जाएगा।				
18.	86-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1.35	3425/31	जी आई टी ए से सेवाएं लेने के प्रति किया गया व्यय वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के अन्तर्गत बुक किया जाना अपेक्षित था। तथापि डी एस टी ने उसे वस्तु शीर्ष 3425.60.798.12.00.31- "अनुदान सहायता सामान्य (योजनागत)" के अन्तर्गत गलत प्रकार बुक किया।
विभाग ने बताया कि जी आई टी ए एक गैर-लाभकारी कम्पनी है जिसका एक प्रमुख कार्य भारत सरकार की ओर से औद्योगिक अनुसंधान विकास कार्यक्रम लागू करना है। इस प्रकार जी आई टी ए को दी गई प्रबन्धन फीस व्यावसायिक सेवाएं के रूप में नहीं मानी जानी चाहिए। इसके अलावा प्रभाग में "व्यवसायिक सेवाएं" का कोई शीर्ष उपलब्ध नहीं है। परन्तु उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार व्यय 'व्यावसायिक सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत बुक किया जाना अपेक्षित था। विभाग को बजट अनुमान चरण पर ही उसके लिए पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए था।				
19.	92-अन्तरिक्ष विभाग	2.77	5402/60	₹2.77 करोड़ की लागत पर प्राप्त पूंजीगत मद (कार्बन कम्पोजिट प्रैशरेंट टैक की आपूर्ति) वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत प्रभार' (5402.00.101.33.00.60) के अन्तर्गत बुक किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
20.		4.05	5402/60	एच एम सी के विनिर्माण, सज्जीकरण, फिल्मांकन और सम्बन्धित कार्यकलापों के प्रति ₹4.05 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था जिसे वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत प्रभार (5402.00.101.33.00.60 के अन्तर्गत ₹1.06 करोड़ और 5402.00.101.43.00.60 के अन्तर्गत ₹2.99 करोड़) के अन्तर्गत बुक किया गया था।
21.		1.44	3402/ 50	पी ए ओ, इसरो मुख्यालय ने अपने स्वायत्त निकाय एस सी एल चण्डीगढ़ को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान सहायता के रूप में ₹1.44 करोड़ की राशि वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान सहायता' के बजाय '50-अन्य प्रभार' (3402.00.103.12.00.50) के अंतर्गत जारी की।
22.		2.06	3402/50	स्वायत्त निकाय पी आर एल, अहमदाबाद को इसरो जिओस्पियर बायोस्फीयर कार्यक्रम (आई जी बी पी) के अन्तर्गत ₹2.06 करोड़ की जारी अनुदान सहायता वस्तु शीर्ष '31-अनुदान सहायता-सामान्य' के स्थान पर वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार (3402.00.103.03.00.50) के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी।
23.		1.90	3402/50	पी ए ओ, इसरो मुख्यालय ने केन्द्रीय विद्यालय, एन.ए.एल., बंगलौर को छमाही किश्त के रूप में ₹1.90 करोड़ की राशि जारी की जिसे वस्तु शीर्ष '31-अनुदान सहायता सामान्य के बजाय वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' (3402.00.001.01.00.50) के अन्तर्गत बुक किया गया।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
24.		6.70	3402/50	पी.ए.ओ., इसरो मुख्यालय ने ए.एस.पी. परियोजना के अंतर्गत एन.ए.आर.एल. को सक्रिय व्यूह एम.एस.टी. राडार एस.एफ. राडार, लिडार विकसित करने तथा वायुमंडलीय विज्ञान से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के प्रति ₹6.70 करोड़ की एक राशि जारी की जिसे वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के स्थान पर वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार (3402.00.103.12.00.50) के अंतर्गत बुक किया गया।
25.	95-कपडा मंत्रालय	10.00	2852/31	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई एफ टी) को शिलांग में एन.आई.एफ.टी के स्थाई केन्द्र के निर्माण हेतु जारी ₹10.00 करोड़ की राशि वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के बजाय वस्तु शीर्ष 2852.08.202.02.07.31 अनुदान सहायता-सामान्य के अन्तर्गत लेखे में गलत प्रकार बुक किया गया था।
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि अनुपालना हेतु आपत्तियां प्रशासनिक प्रभागों की जानकारी में लाई गई है।				
26.	104- लोक निर्माण कार्य	1.54	2059/53	गणतन्त्र दिवस समारोहों के प्रबन्ध करने के लिए किया गया ₹1.54 करोड़ का व्यय जिसमें प्राथमिक रूप से पुष्प सज्जीकरण, बैठने का प्रबन्ध सुरक्षा घेराबन्दी तथा वी.वी.आई.पी. बैरीकेडिंग आदि शामिल थे, वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' के स्थान पर वस्तु शीर्ष 53 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत लेखे में बुक किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
शहरी विकास मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि प्रावधान बागवानी कार्य, विद्युत एवं सिविल कार्य के लिए अपेक्षित था जिसे परिसंपत्ति के तौर पर रखा नहीं जा सकता। उसने आगे कहा कि इन अस्थायी संरचनाओं में सीमेंट तथा कंक्रीट मिश्रण सहित स्तंभों तथा लिंवल का कार्य शामिल था जिस पर ईंट चिनाई तथा प्लास्टरिंग की जानी थी, अत: मानकों के अनुसार यह मुख्य निर्माण कार्य में आते हैं। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय की बुकिंग डीएफपीआर, 1978 के अनुरूप होनी चाहिए तथा व्यय को लघु निर्माण कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।				
27.	104- लोक निर्माण कार्य	3.71	2059/50	मंत्रालय ने ₹3.71 करोड़ की व्यय समाधि स्थल परिसर पर सुरक्षा बल तैनात किये जाने तथा समाधियों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर वस्तु शीर्ष 50- अन्य प्रभार के अंतर्गत बुक किया। इस व्यय को सही तरीके से वस्तु शीर्ष 28- व्यावहारिक सेवायें के अंतर्गत बुक किया जाना चाहिए था।
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि व्यय, समाधि की सुरक्षा के प्रति भुगतान हेतु किया गया और ऐसे भुगतान आवर्ती हैं परन्तु कुछ अवसरों पर विशेष सेवाओं हेतु किसी भुगतान की आवश्यकता नहीं होती हैं। इस प्रकार यह अनावश्यक और अपरिचालनीय वस्तु शीर्षों का खोलना लाभदायक नहीं होगा जिसके अन्तर्गत निधियों का परिणाम बचत में होगा। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये अन्य विभागों जैसे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) और साहित्य कला परिषद (एन सी टी सरकार, दिल्ली) द्वारा की गई सेवाओं के लिए भुगतान हैं और इसलिए व्यय की बुकिंग डीएफपीआर के अनुरूप होनी चाहिए।				
	जोड़	**2,954.65**		

4.7.4 अन्य देशों को दी जा रही सहायता को दर्ज करने हेतु वस्तु शीर्ष 'अंशदान' का प्रचालन

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8, व्यय के सही वर्गीकरण के उद्देश्य से विवरण/परिभाषाओं सहित विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों को निर्धारित करता है। किसी भी निकाय/प्राधिकरण को दिये गये सहायता अनुदान के वस्तु शीर्षों '31- सहायता अनुदान-सामान्य', '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान', '36-सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत वगीकृत किये जाते हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर हुए व्यय इत्यादि का वर्गीकरण '32-अंशदान' के अंतर्गत किया जाता है।

वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखे एवं विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 32 की अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 15 मामलों में ₹3,884.93 करोड़ का व्यय, जिसका विवरण **तालिका 4.14** में दिया गया है, गलत रूप से दर्ज किया गया था और विनियोग की प्राथमिक इकाई पर वस्तु शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। चूंकि व्यय की प्रकृति विदेश सरकारों को सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनुदानों की थी, इसलिए सही प्रक्रिया अनुसार इसे अनुदानों के लिए बने वस्तु शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।

तालिका 4.14: 2014-15 के दौरान विदेश सरकारों को प्रदत्त अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्गीकरण	विवरण (उप शीर्ष)	व्यय
1.	3605.00.101.09.00.32	बग्लादेश को सहायता	197.84
2.	3605.00.101.10.02.32	भूटान को सहायता (पुनतसंगछू-I एचईपी)	561.70
3.	3605.00.101.10.03.32	भूटान को सहायता (मांगदेछू एच ई पी)	245.30
4.	3605.00.101.10.04.32	भूटान को सहायता (पुनतसंगछू-II एच ई पी)	328.16
5.	3605.00.101.10.05.32	भूटान को सहायता, अन्य परियोजनाएं	1146.59
6.	3605.00.101.11.00.32	नेपाल को सहायता	303.26
7.	3605.00.101.13.00.32	मालदीव को सहायता	26.08
8.	3605.00.101.14.00.32	म्यांमार को सहायता	104.34
9.	3605.00.101.15.00.32	अन्य विकासशील देशों को सहायता	54.12
10.	3605.00.101.16.00.32	आपदा राहत के लिए सहायता	24.77
11.	3605.00.101.20.00.32	अफ्रीकी देशों को सहायता	142.86
12.	3605.00.101.25.00.32	यूरेशियाई देशों को सहायता	11.94

क्र.सं.	वर्गीकरण	विवरण (उप शीर्ष)	व्यय
13.	3605.00.101.32.00.32	लैटिन अमेरिका देशो को सहायता	12.17
14.	3605.00.101.33.00.32	अफगानिस्तान को सहायता	723.52
15.	3605.00.101.36.00.32	मंगोलिया को सहायता	2.28
कुल			**3,884.93**

इस मामले को 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के वित्तीय वर्षों के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन में इंगित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर-2015)

4.7.5 'विशेष केन्द्रीय सहायता' का लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकारों को राज्य जन जाति उप-योजना के अनुपूरक के रूप में, विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) प्रदान की जाती है। जहाँ 'जनजातीय क्षेत्र उप योजना' हेतु आवंटित निधियों को लेखे के विशिष्ट लघु शीर्ष अर्थात '796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित है, वही लेखाओं के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची के सामान्य निर्देशों के अनुसार, 'जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' को दर्ज करने हेतु एक पृथक लघु शीर्ष कोड, अर्थात 794 चिन्हित किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 97 की संवीक्षा से पता चला कि ₹1,190.00 करोड़ के कुल प्रावधान में से मंत्रालय द्वारा ₹1,040.02 करोड़ की राशि वर्ष 2014-15 के दौरान 'जनजातीय उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के रूप में जारी की गयी थी एवं यह व्यय लघु शीर्ष '796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसका लघु शीर्ष '794 जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के अंतर्गत प्रावधान तथा दर्ज किया जाना चाहिए था जैसा कि प्रचलित अनुदेशों में निर्धारित था।

वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए संघ सरकार लेखाओं पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.7.5 में भी इस विषय को उठाया गया था।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि लघु शीर्ष '796' 2011-12 से प्रचालन में है। तदनुसार 2014-15 के दौरान किया गया व्यय लघु शीर्ष 796 के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि लघु शीर्ष '794' विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में प्रचालन में है। जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय लघु शीर्ष '794' के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।

4.8 एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन

सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान करने हेतु मध्यस्थता योजना के रूप में क्रमश: अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु जनजातीय उप-योजना प्रारम्भ की गई थी। ऐसी योजनाएं, इन विशेष समूहों को उनकी संबंधित जनसंख्या के आकार के अनुपात में, सभी संबंधित विकास क्षेत्रों से, निधियों की गारंटी प्रदान करके लाभ सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। इन दोनों उप योजनाओं का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में, भौतिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार से, परिव्यय के प्रवाह तथा सामान्य क्षेत्रों से लाभों को दिशा देना है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से योजनागत आवंटन के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) तथा जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.) हेतु अलग आवंटन करने की पहल की गई थी। सरकार ने समर्पित मुख्य शीर्ष 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक (कोड 789)' तथा 'जनजातीय उपयोजना (कोड 796)' को प्रारम्भ करके ऐसे आवंटनों को दर्ज करने हेतु एक उपयुक्त लेखांकन क्रियाविधि स्थापित की थी। तद्नुसार, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों में एक योजनागत योजना के अंतर्गत 'सामान्य योजना', 'अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' हेतु अलग बजट सीमाओं सहित प्रथक रूप से प्रावधान प्राप्त किया जाता है। 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत किए गए प्रावधान को, एस.सी.एस.पी. तथा टी.एस.पी. के अंतर्गत अन्य योजनाओं में उन्हीं लघु शीर्षों को छोडकर, अन्यत्र पुनर्विनियोजित किया जाना अनुमत नहीं है, ताकि विपथन की किसी भी संभावना से बचा जा सके।

जी.एफ.आर. 2005 के नियम 48 के नीचे परिशिष्ट-3 के पैरा 4 (जिसमें बजट बनाने के लिये अनुदेश समाहित हैं) में प्रावधान है कि जहां एक योजना/ परियोजना पर प्रारम्भिक खर्चों की पूर्ति हेतु या आकस्मिक स्थितियों की पूर्ति हेतु तात्कालिक उपायों मापदण्डों का प्रावधान किया जाना हो, के अतिरिक्त, बजट में एक मुश्त प्रावधान नहीं किये जायेंगे, जो वित्तीय वर्ष में चालू करने हेतु, सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकृत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2014-15 के लिए स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग से सम्बन्धित अनुदान सं. 59 के समेकित सार के साथ विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने अनुदान के लिए पूरक मांग में सामान्य घटक, अनुसूचित जाति के लिये विशेष संघटक योजना तथा जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत राशि विशेष घटक वार ब्यौरे दिए बिना अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों से वस्तु-शीर्ष '36 अनुदान सहायता वेतन' के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) के लिए पुनर्विनियोग हेतु ₹324.35 करोड़ का सांकेतिक पूरक प्राप्त किया (दिसम्बर 2014 तथा मार्च 2015)।

₹324.35 करोड़ के एकमुश्त पूरक को संसद के विशेष पूर्व अनुमोदन बिना योजना के तीन घटकों के बीच संविभाजित किया गया था। चूंकि व्यय आर्थिक सहायता अनुदान पर किया गया व्यय होने पर बजट प्रभाग का.ज्ञा. दिनांक 25 मई 2006 के अनुसार नई सेवा/ सेवा के नए साधन की सीमाओं के उल्लंघन में था; इसलिए तीन योजनाओं के लिए अलग-अलग संसद का राशि-विशेष पूर्व अनुमोदन आवश्यक था जिसे प्राप्त नहीं किया गया था। किए गए व्यय का विवरण **तालिका 4.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.15 : एकमुश्त पूरक प्रावधान का अप्राधिकृत वितरण

(₹ करोड़ में)

योजना/शीर्ष	प्रावधान				व्यय
	बी ई*	एन ई*	टी ए*	एस ए*	
2202.02.789.02.00.36 केन्द्रीय विद्यालय संगठन	19.20	2.40	21.60		70.42
2202.02.796.03.00.36 केन्द्रीय विद्यालय संगठन	9.60	1.20	10.80		31.80
2202.02.110.01.00.36 केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2145.70	11.80	2157.50	324.35	2408.64
				324.35	

**बी.ई.= बजट अनुमान, एम.ई.= एम.एन 2552/4552/6552 के अन्तर्गत पूर्वोतर क्षेत्र के विकास का प्रावधान, एस.ए.= अनुदानो के लिए पूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकरण/अनुमोदन, टी.ए.= कुल प्राधिकरण*

विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि 2014-15 के लिए अनुदान पूरक मांग के पहले बैच में के.वी.एस. की योजना में ₹261.00 करोड़ (सामान्य शीर्ष ₹190.00 करोड़, एस.सी.एस.पी. शीर्ष ₹50.00 करोड़ और टी.एस.पी. शीर्ष ₹21.00 करोड़) की निधियों के संवर्धन के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त किया गया था और तदनुसार सम्बन्धित शीर्षों से पुनर्विनियोग किया गया था। विभाग ने आगे बताया कि अनुदानों की पूरक मांग के दूसरे बैच में ₹63.35 करोड़ (सामान्य शीर्ष) के लिए भी संसद का अनुमोदन प्राप्त किया गया था और तदनुसार पुनर्विनियोग किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है केवल सामान्य घटक में के.वी.एस. के लिए ₹324.35 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था। मंत्रालय को प्रत्येक घटक (जैसे सामान्य, एस.सी.एस.पी. तथा टी.एस.पी.) के लिए पृथक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था क्योंकि सभी तीन घटकों की अलग-अलग बजट सीमाएं थीं जैसा कि कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 की पूरक मांग के दूसरे बैच के लिये किया गया था।

4.9 वस्तु शीर्ष के अंतर्गत एकमुश्त प्रावधान की प्राप्ति

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 में अनुबंधित है कि एकमुश्त शीर्ष (वस्तु शीर्ष 42) के अंतर्गत, प्रावधान में योजना/उप योजना/संगठन, जहां प्रवाधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होते हैं, से सम्बधित व्यय शामिल होगा। सभी अन्य मामलों में व्यय का ब्यौरा अवश्य दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2014-15 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाएं विभाग से सम्बन्धित अनुदान सं. क्रमश: 28 तथा 34 के विनियोग लेखे की जांच में पता चला कि निम्नलिखित दो मामलों में वर्तमान नियमों के अन्तर्गत व्यय के पूर्ण विवरण के साथ संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के बजाय ₹10 लाख से अधिक के एकमुश्त प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

तालिका 4.16 एक मुश्त प्रावधान

क्र.सं.	अनुदान सं. तथा नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	व्यय	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
			(₹ लाख में)		
1.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय	2552.00.800 .03.00.42	30.00	20.69	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ मानते हुए मंत्रालय ने कहा कि (नवम्बर 2015) व्यय के विभिन्न शीर्षों का विश्लेषण किया जा रहा था तथा वर्ष 2016-17 से ₹10 लाख से ऊपर के प्रावधान उचित वर्ग के अन्तर्गत ही दर्शाए जाएंगे।
2.	34- वित्तीय सेवाओं का विभाग	3475.00.105 .04.00.42	113.00	58.00	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से न्यायालय परिसमापक कार्यालय के बजट प्रावधान वस्तु शीर्ष '42 एक मुश्त प्रावधान' के स्थान पर उचित वस्तु शीर्षों में किए जाएंगे।
कुल			**143.00**	**78.69**	

4.10 अनुमोदन बिना योजना से योजनेत्तर शीर्ष को निधियों का पुनर्विनियोग

वित्तीय शक्ति प्रत्योजन नियमावली 1978 के नियम 10(6)(घ) के प्रावधान के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग में योजना शीर्षों से योजनेत्तर शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग केवल वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है। इस प्रकार पुनर्विनियोग के लिए ऐसे पूर्व अनुमोदन बिना किया गया कोई व्यय अप्राधिकृत होगा। वेतन तथा लेखा कार्यालय द्वारा भी ऐसा प्राधिकार करने से पूर्व, जहाँ निधियों के कोई प्रावधान अथवा सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति विद्यमान नहीं है, सिविल लेखा नियम पुस्तक के पैरा 4.2.4 के अन्तर्गत निर्धारित जांच करना अपेक्षित होता है। यह देखा गया कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग से सम्बन्धित अनुदान सं. 87 में विभाग ने वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, मार्च 2015 में योजना से योजनेत्तर शीर्ष को ₹4.50 करोड़ का पुनर्विनियोग किया।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि मुख्य शीर्ष 3425 के अन्तर्गत योजना से योजनेतर को ₹4.50 करोड़ के पुनर्विनियोग के लिए कार्येतर अनुमोदन मांगा गया था। तथापि उसे वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया था कि

सचिव, व्यय का कार्येतर अनुमोदन प्राप्त करने का वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम में कोई प्रावधान नहीं है।

4.11 सुसंगत उपशीर्ष का प्रचालन न करने के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण

सरकारी कार्यालयों तथा औद्योगिक स्थापनाओं में विभागीय कैन्टीनों पर प्रशासनिक निर्देशों, तृतीय संस्करण 2008 के खण्ड 3.6 के अन्तर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने अधिसूचित किया कि विभागीय कैन्टीनों के रखरखाव हेतु अलग लेखा शीर्ष खोले जाएं। विभागीय कैन्टीन को चलाने और रखरखाव हेतु किया गया व्यय जैसे 'वेतन तथा भत्ते', 'आपूर्तियां तथा सामग्री', 'अन्य प्रशासनिक खर्चे' आदि ऐसे अलग शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया जाना था ।

वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान सं. 92- अन्तरिक्ष विभाग की संवीक्षा से पता चला कि विभाग की विभिन्न इकाईयों द्वारा 2014-15 के दौरान विभागीय कैन्टीन के रखरखाव पर किया गया ₹7.31 करोड़ का व्यय गलत वर्गीकृत किया जैसा नीचे की **तालिका** में दिया गया है।

तालिका 4.17: प्रासंगिक उप-शीर्ष के गैर संचालन के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	पी.ए.ओ.	व्यय (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण
1.	3402	001	01	इसरो मुख्या.	1.51	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800-अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु इसरो मुख्यालय द्वारा इसे उप-शीर्ष '3402.00.001.01' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
2.	3451	090	18	इसरो मुख्या.	0.21	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800-अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु इसरो मुख्यालय द्वारा इसे उप-शीर्ष '3451.00.090.18' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
3.	3402	101	10	आई.एस.ए.सी. केन्द्र	5.58	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800-अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु आई.एस.ए.सी. केन्द्र द्वारा इसे उप-शीर्ष

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	पी.ए.ओ.	व्यय (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण
						'3402.00.101.10' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
4.	3252	053	13	आई.एस.ए.सी. केन्द्र	0.01	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800-अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु आई.एस.ए.सी. केन्द्र द्वारा इसे उप-शीर्ष '3252.00.053.13' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
योग					**7.31**	

विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि चूंकि वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 के अन्तर्गत निर्देशों के अनुसार खर्चों की बुकिंग उचित वस्तु शीर्षों के अन्तर्गत की गई थी जैसा दिया गया, इसलिए सही हैं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डी.ओ.पी.टी. निर्देशों के अनुसार विभागीय कैन्टीनों से सम्बन्धित विभिन्न खर्चों की बुकिंग राजस्व खंड में लघु शीर्ष 'अन्य व्यय' के अंतर्गत उचित विषय शीर्षों के अन्तर्गत किया जाना चाहिये।

4.12 संसदीय प्राधिकरण के बिना किया गया व्यय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन को छोड़कर भारत की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा। अन्तरिक्ष विभाग बाह्य एजेंसियों को अन्तरिक्ष उत्पाद तथा सेवाएं देने के लिए निक्षेप परियोजनाओं के रूप में बाह्य परियोजनाओं का दायित्व लेता है। निक्षेप परियोजनाएं '8443.00.117' सिविल जमा' बाह्य निकायों की ओर से किये गए कार्य हेतु जमा के माध्यम से प्रचालित की जाती है।

वर्ष 2014-15 के लिए अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित अनुदान सं. 92 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2013-14 के दौरान बाह्य जमाओ- जी-सैट 7 ए के प्रति किया गया ₹11.82 करोड़ का व्यय पी.ए.ओ. (परियोजना) द्वारा अन्तरण प्रविष्टि सं. टी0003092 दिनांक 30 अप्रैल 2014 के द्वारा 2014-15 के दौरान सी.एफ.आई. परियोजनाओं को अन्तरित किया गया था (लेखा शीर्ष 5252.00.20309 जीसैट-16 के अन्तर्गत 10 करोड़

और शीर्ष 5252.00.203.07- जीसैट 15 के अन्तर्गत ₹1.82 करोड़)। इस प्रकार जी-सैट, 7ए परियोजना पर वास्तव में किया गया ₹11.82 करोड़ का व्यय संसदीय प्राधिकरण के बिना सी.एफ.आई. परियोजनाओं पर अनियमित रूप से अंतरित किया गया था।

4.13 कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट के मामले में विस्तृत शीर्ष '99- सूचना प्रौद्योगिकी' का प्रचालन न करना

वर्गीकरण के शीर्षों का सामान्य मानकीकरण सुनिश्चित करने और 'सूचना प्रौद्योगिकी' पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए खर्च की निगरानी को सुगम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने अपने का ज्ञा.सं. 15(4)/ ख(घ)/ 2003 दिनांक 9 जुलाई 2003 द्वारा हार्डवेयर, साफ्टवेयर की प्राप्ति, अनुरक्षण, साफ्टवेयर के विकास, प्रशिक्षण आदि सहित सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा देने के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा किए गए व्यय का संकलन करने के लिए मानक कोड अर्थात् '99' के साथ अनुदानों की विस्तृत मांगों में वर्गीकरण के पांचवे स्तर पर 'विस्तृत शीर्ष' स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी को रखने का निर्णय लिया।

रक्षा मंत्रालय (सिविल) (अनुदान सं. 20) के विनियोग लेखे की संवीक्षा में पता चला कि सी.एस.डी. ने 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹9.44 करोड़ का आई.टी. सम्बद्ध व्यय किया परन्तु वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार ऐसा खर्च दर्ज करने के लिए सुसंगत विस्तृत शीर्ष '99 -सूचना प्रौद्योगिकी को प्रचालित नहीं किया जा रहा था। '

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति व्यय लेखापरीक्षा शुल्क तथा व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान की बुकिंग मंत्रालय से प्राप्त बजट आवंटन के प्रति शीर्ष-2075.00.108.01.28 'व्यावसायिक सेवाएं' में की जाती हैं। विभाग ने आगे बताया कि यदि ऐसा करना आवश्यक है तो उचित शीर्ष के अंतर्गत व्यय की बुकिंग हेतु कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

4.14 रक्षा मंत्रालय में बजट का गलत अनुमान

2014-15 के लिए मांग सं. 21-रक्षा पेंशन के राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में ₹50,999.30 करोड़ का विधायी स्वीकृति प्राप्त की गई थी। वर्ष की अवधि के

दौरान, संशोधित अनुमान स्तर पर वित्त मंत्रालय (वि.मं.) द्वारा मांग के इस अनुभाग के अंतर्गत प्रावधान को ₹1,000 करोड़ से कम किया गया था, जबकि रक्षा मंत्रालय (र.मं.) ने ₹53,824 करोड़ का अनुमानित व्यय प्रक्षेपित किया था। वर्ष के दौरान, ₹1,014.12 करोड़ की परिणामी बचतों के साथ रक्षा पेंशन पर ₹49,985.18 करोड़ की राशि का व्यय बुक किया गया था, जिसे अनुदान के प्रमुख लेखांकन प्राधिकारी अर्थात् सचिव, रक्षा मंत्रालय द्वारा यथोचित रूप से अनुमोदित किया गया था।

तदुपरांत नवम्बर 2015 में, इस मांग के विनियोग लेखे संशोधित किए गए, जिससे ₹50,999.30 करोड़ की विधायी स्वीकृति के प्रति राजस्व दत्तमत के अंतर्गत ₹60,435.20 करोड़ का व्यय बुक किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹9,435.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था। व्यय आंकड़े को इस आधार पर संशोधित किया गया था कि उचंत शीर्षों के अंतर्गत पड़े हुए ₹10,450.03 करोड़ के पेंशन भुगतान स्क्रॉलों को वित्त वर्ष 2015-16 में दर्ज किया गया था, जिन्हें वित्त वर्ष 2014-15 में ही समायोजित किया जाना चाहिए था।

जुलाई 2015 में इस मांग की लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, संशोधित अनुमानों के आधार पर ₹1,009.30 करोड़ की राशि के अविवेकी अभ्यर्पण से संबंधित प्रश्न उठा था, जबकि ₹10,450.03 करोड़ की राशि के पेंशन स्क्रॉल 2014-15 के लेखाओं में अंतिम शीर्ष में बुकिंग के लिए लंबित थे। परंतु र.मं. द्वारा कोई ठोस उत्तर नहीं दिया गया।

समाशोधन हेतु लंबित उच्चंत शीर्षों में पड़े हुए पेंशन भुगतान स्क्रॉलों के बड़े संचय को देखते हुए, र.मं. को वित्त वर्ष 2014-15 में प्रावधान के संवर्धन हेतु वि.मं. के समक्ष पहले से ही मामला प्रस्तुत करना चाहिए था, ताकि पेंशनों पर किए गए व्यय को लेखे के अंतिम शीर्ष में बुक किया जा सकता। परंतु र.मं. ने 2014-15 के लिए केवल ₹53,824 करोड़ के व्यय के गलत संशोधित अनुमान प्रक्षेपित किए तथा वि.मं. द्वारा प्रावधान में की गई कमी का विरोध नहीं किया। इसके अतिरिक्त पहले से ही किये गये व्यय शीर्ष के अंतर्गत रखे जाने के बावजूद ₹ 1,014.12 करोड़ की बचतों को दर्शाते हुए र.मं. ने ₹ 49,985.18 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया।

पेंशन भुगतान प्रतिबद्ध व्यय होता है और रक्षा पेंशन की मांग में लगातार अतिरिक्त व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए र.मं. में प्रारंभिक बजट अनुमान प्रक्रिया की समीक्षा किये जाने तथा इसे अधिक वास्तविक बनाये जाने की आवश्यकता है।

4.15 रक्षा अनुदानों में गलत तकनीकी पूरक प्रावधान प्राप्त करना

(क) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट नियम पुस्तक के पैरा 3.2 के अनुसार तीन अवसरों पर तकनीकी पूरक की मांग की जाती है (क) चार खण्डों में से एक से निधि का अभ्यर्पण तथा मांग के अन्दर अन्य खण्ड में उसका उपयोग करना (ख) एक मांग से दूसरी मांग को योजना के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप उस मांग से राशि का अभ्यर्पण जिससे योजना हस्तांतरित हुई और अन्य मांग में उसका उपयोग जहाँ योजना हस्तांतरित की गई; और (ग) अधित्याग / बट्टे खाते।

रक्षा मंत्रालय की अनुदानों के लिए छः मांगे हैं, पांच राजस्व खण्ड में और एक पूंजीगत खण्ड में। रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे 2014-15 की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनुदानों के लिए गलत तकनीकी पूरक मांगे अनुदानों की चार राजस्व मागों में कुल ₹8,335.52 करोड़ (राजस्व प्रभारित में ₹399.22 करोड़ और राजस्व दत्तमत में ₹7,936.30 करोड़) की अन्तिम बैच (मार्च 2015) के माध्यम से संसद से प्राप्त की गई थीं। ये तकनीकी पूरक प्रावधान अनुदान सं. 27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में उपलब्ध बचतों से प्राप्त किए गए थे। अनुदानों के लिए चार राजस्व मांगो में प्राप्त गलत पूरक प्रावधानों के विवरण नीचे **तालिका 4.18** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 4.18: अनुपूरक अनुदानों की गलत प्राप्ति

मॉग का विवरण	प्राप्त किया गया तकनीकी पूरक (₹करोड़ में)	
	राजस्व (प्रभारित)	राजस्व (दत्तमत)
22-रक्षा सेवाएं - थल सेना	336.00	5340.47
23-रक्षा सेवाएं - नौसेना	9.63	350.37
24-रक्षा सेवाएं - वायु सेना	53.59	1925.43
26-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	-	320.03
कुल	**399.22**	**7936.30**

इस प्रकार, मांग संख्या 27 से मांग सं. 22,23,24 तथा 26 को तकनीकी पूरक के माध्यम से कुल ₹8,335.52 करोड़ की निधियों का अन्तरण रक्षा मंत्रालय द्वारा गलत प्रकार प्रस्तावित और वित्त मंत्रालय द्वारा गलत प्रकार स्वीकार किया गया था जिसके कारण बजट नियम पुस्तक के पैरा 3.2 में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में एक मांग से अन्य मांग में अनियमित पूरक प्रावधान का प्राप्त हुआ।

रक्षा मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2015) कि सिविल अनुदानों से विपरीत रक्षा सेवा अनुमानों की प्रत्येक अनुदान में चार खण्ड न हो कर केवल दो खण्ड हैं। दत्तमत तथा प्रभारित खण्डों के साथ अनुदान सं. 22 से 26 तक पूर्णतया राजस्व अनुदान हैं जबकि अनुदान सं. 27 दत्तमत्त तथा प्रभारित खण्डों के साथ सम्पूर्ण रूप से पूंजीगत अनुदान है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जैसा बजट नियम पुस्तक में स्पष्ट किया गया है, तकनीकी पूरक की तब आवश्यकता होती है जब एक खण्ड की बचतें दूसरे खण्ड में उपयोग की जानी हैं अथवा एक मांग से बचतें अन्य में उपयोग की जानी हैं।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर मान्य नहीं है कि मांग सं. 27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में बचतें मंत्रालय की अन्य चार मांगो में उपयोग नहीं की जा सकती हैं क्योंकि मांग सं. 27 से चार अन्य मांगो में से किसी को भी किसी योजना का हस्तांतरण नहीं हुआ था।

(ख) तकनीकी पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त ₹8,335.52 करोड़ के कुल पूरक में से रक्षा सेवाओं की चार राजस्व मांगो मे केवल ₹5,986.73 करोड़ का उपयोग किया गया था तथा शेष ₹2,348.79 करोड़ की तालिका के विवरण के अनुसार राशि उपयोग नहीं की जा सकी जिससे अविवेकपूर्ण अनुपूरक मांगें प्राप्त हुईं।

तालिका 4.19: वास्तविक आवश्यकता के आधिक्य में निधियों को अविवेकपूर्ण प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	बजट अनुमान	अभ्यर्पण	अंतिम उपलब्ध प्रावधान	व्यय (मार्च अंतिम 2015)	व्यय पूर्ति हेतु अपर्याप्त प्रावधान	प्राप्त किया गया पूरक प्रावधान	प्राप्त किया गया अधिक पूरक
1	2	3	4(2-3)	5	6(5-4)	7	8(7-6)
22-Army	95337.82	6.83	95330.99	99400.74	4069.75	5676.47	1606.72
23-Navy	14175.79	-	14175.79	14352.00	176.21	360.00	183.79
24-Air Force	21206.84	-	21206.84	22685.30	1478.46	1979.02	500.56
26-R&D	6039.67	64.90	5974.77	6237.08	262.31	320.03	57.72
				योग	**5986.73**	**8335.52**	**2348.79**

लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत होते हुए मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2015) कि यह सही है कि मंत्रालय इन अतिरिक्त निधियों का उपयोग करने में असमर्थ रहा है। बचतों के कारणों में से एक वित्त वर्ष के अन्त की ओर अतिरिक्त निधियों की विलम्बित उपलब्धता था।

इस प्रकार, रक्षा सेवाओं की एकमात्र पूंजीगत मांग में प्रारंभिक बजट बनाने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें अनुक्रामिक वर्षों में बड़ी बचतें देखी गई हैं तथा इन बचतों को रक्षा सेवाओं की राजस्व मांगों को अंतरित किया गया था।

(ग) एकमात्र पूंजीगत मांगों में उपलब्ध बचतों से रक्षा सेवा की चार राजस्व मांगों को तकनीकी पूरक प्राप्त करते समय, नोटों एवं टिप्पणियों में यह बताया गया था कि अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए शेष राशि अनुदान के पूंजीगत खण्ड में उपलब्ध बचतों से अपेक्षित है। हालांकि, चार राजस्व मांगों में से किसी में भी अतिरिक्त प्राप्तियों को प्रकट नहीं किया गया था, जहाँ तकनीकी पूरक के माध्यम से अतिरिक्त प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

(घ) अनुदान सं. 22-सेना के संदर्भ में, चार पर्वतारोहण संस्थानों को सहायता अनुदानों के संवितरण हेतु तकनीकी पूरक के माध्यम से ₹16 करोड़ का एकमुश्त पूरक प्राप्त किया गया था। परंतु, अनुदानों के संवितरण के संस्थान-वार राशि विशेष विवरण को पूरक के माध्यम से संसद को सूचित नहीं किया गया था जैसा कि दिनांक 25 मई 2006 के वित्त मंत्रालय का.ज्ञा. को अनुबंध के मद-ई के नीचे दिए नोट में दी गई शर्त में अपेक्षित है।

4.16 रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय अनुशासन का पालन न करना

जी.एफ.आर. 2005 का नियम 59 प्रावधान करता है कि डी.एफ.पी.आर. 1978 के नियम 10 के प्रावधानो के अधीन और ऐसे अन्य सामान्य अथवा जैसे इस बाबत वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए विशेष प्रतिबन्धों के अधीन एक अनुदान अथवा विनियोग के अन्दर विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से अन्य ऐसी इकाई को पुनर्विनियोग, वित्त वर्ष जिससे ऐसा अनुदान अथवा विनियोग सम्बन्ध रखता है, की समाप्ति से पूर्व किसी समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया जाए और पुनर्विनियोग आदेश की प्रति लेखा अधिकारियों को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

तथापि पत्र सं. एफ 2 (30) बी (ए.सी.)/ 2014 दिनांक 31 मार्च 2015 के द्वारा जारी वित्त मंत्रालय आर्थिक मामले विभाग (बजट प्रभाग) द्वारा जारी पुनर्विनियोग आदेश के अवलोकन से पता चला कि मांग सं. 27- रक्षा सेवाओं पर परिव्यय (दत्तमत तथा प्रभारित) के अन्तर्गत प्रस्तावित ₹7,608.16 करोड़ निधियों का पुनर्विनियोग वित्त मंत्रालय अर्थात् सचिव (व्यय) द्वारा संस्वीकृत नहीं किया गया था, जैसा नीचे **तालिका** में दर्शाया गया है :-

तालिका 4.20 : अनियमित अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

शीर्ष (4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	**आधिक्य**
01-थल सेना (दत्तमत)	
101-एयर क्राफ्ट एवं एरो-इंजिन	**37.82**
106-रोल्लिंग स्टॉक	**103.14**
112-राष्ट्रीय राइफल्स	**30.95**
01-थल सेना (प्रभारित)	
202-निर्माण कार्य	**7.08**
02-नौसेना (दत्तमत)	
204-नौसेना बेडा	**779.32**
202-निर्माण कार्य	**63.49**
03-वायु सेना (दत्तमत)	
101-एयर क्राफ्ट एवं एरो-इंजिन	**6286.14**
202-निर्माण कार्य	**220.82**
05-अनुसंधान एवं विकास (प्रभारित)	
111-निर्माण कार्य	**79.40**
कुल	**7608.16**

₹7,608 करोड़ में से ₹7,394.67 करोड़ के कुछ व्यय में से अधिकांश को वायुयान/हवाई इंजन/नौवहन बेड़े के अधिग्रहण/निर्माण कार्य इत्यादि पर वहन किया गया। चूंकि यह व्यय वस्तु शीर्ष 52-मशीनरी एवं उपकरण तथा 53-मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत आता है, इनसे मंत्रालय के दिनांक 25 मई 2006 के इस का.ज्ञा. के अनुसार एन.एस./एन.आई.एस. से संबंधित वित्तीय सीमाओं का उल्लंघन हुआ जिसके अनुसार यह व्यय संसद की पूर्वानुमति के पश्चात किया जाना था।

रक्षा मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2015) कि अधिक व्यय मुख्यतया प्रस्तावित पुनर्विनियोगों का अनुमोदन करने से वित्त मंत्रालय सस्वीकृति के कारण हुआ।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि रक्षा मंत्रालय पुनर्विनियोग प्रस्ताव को अनुमोदित करने से वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट नहीं कर सका।

4.17 निष्कर्ष

2014-15 के विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा के दौरान बजट बनाने की प्रक्रिया में कमियों के अलावा, अन्य कमियां जैसे कि सेवा/व्यय के लिए प्रावधान न प्राप्त किया जाना, वित्तीय अनुशासनों का गैर-अनुपालन आदि पाए गए थे। करों की वापसी पर ब्याज के भुगतान के लिए संसद से कोई बजटीय प्रावधान प्राप्त नहीं किया गया था जबकि लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदनों में स्पष्ट रूप संबंधित विभाग को संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुसरण करने के लिए शीघ्रता से सलाह दी है। लोक लेखा समिति की स्वीकृति के साथ जारी नई सेवा/सेवा के नए उपकरण से संबंधित मामलों में वित्तीय सीमाओं पर संशोधित दिशानिर्देशों वाले निर्देशों को कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा पालन नहीं किया गया। अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा गलत विषय शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त किए गए जिसके कारण संकलित लेखे में व्यय का गलत वर्गीकरण किया गया जिसका राजस्व/पूंजीगत व्यय तथा घाटे के ऑंकड़ों पर भी प्रभाव पड़ा। एकमुश्त प्रावधान तथा गलत पूरक प्रावधानों को प्राप्त करने के मामले भी कई अनुदानों में भी देखे गए थे। रक्षा मंत्रालय द्वारा गलत बजट अनुमान के कारणवश उच्चंत शीर्षों के अंतर्गत पेंशन भुगतान स्क्रॉलों की बुकिंग के कारण 2014-15 के दौरान ₹9,435.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था।